



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2026—फाल्गुन 8, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2026

क्र. GAD-6-0020-2025-GAD-I-एक (GAD) .—माननीय न्यायाधिपति, श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी-122 (दो-1-12-2022), दिनांक 20 जनवरी 2026 के अनुक्रम में, दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-EsII(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश नगदीकरण का उपभोग किए जाने का यह पांचवा अवसर है.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2026

क्र. GAD-6-0005-2024-GAD-I-एक (GAD) .—माननीय न्यायाधिपति, श्री हृदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-78 (दो-1-16-2023), दिनांक 8 जनवरी 2026 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2025 तक के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-EsII(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह चतुर्थ अवसर है।

क्र. GAD-6-0005-2024-GAD-I-एक (GAD) .—माननीय न्यायाधिपति, श्री हृदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-80 (दो-1-16-2023), दिनांक 8 जनवरी 2026 के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 16 दिसम्बर 2025 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0028-2025-GAD-I-एक (GAD) .—माननीय न्यायाधिपति, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-76 (दो-1-04-2024), दिनांक 8 जनवरी 2026 के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 जनवरी 2026 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 से 4 जनवरी 2026 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 जनवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रैकवार, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2026

फा. क्र. ई-1084500-इक्कीस-ब(एक)-2026.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, अधिवक्ता, जबलपुर व श्री यशपाल राठौर, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर निम्नलिखित तालिका अनुसार पांच वर्ष अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है :—

तालिका

स. क्र.	अधिवक्ता का नाम	अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, अधिवक्ता, जबलपुर	12 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2031
2.	श्री यशपाल राठौर, अधिवक्ता, इन्दौर	2 फरवरी 2026 से 1 फरवरी 2031

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा.क्रमांक 4784/E-1045327/इक्कीस-ब(एक)/2026, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक सिविल जिले में, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय स्थापित करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनु क्रमांक	सिविल जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		जिला न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आगर-मालवा	3	3	4
2.	अलीराजपुर	3	3	3
3.	अनूपपुर	6	5	6
4.	अशोकनगर	5	5	9
5.	बालाघाट	6	7	14
6.	बड़वानी	7	5	7
7.	बैतूल	8	9	11
8.	भिण्ड	11	9	13
9.	भोपाल	27	38	52
10.	बुरहानपुर	4	5	6
11.	छतरपुर	11	9	18
12.	छिन्दवाड़ा	11	11	17
13.	दमोह	13	4	12
14.	दतिया	6	5	7
15.	देवास	15	16	17
16.	धार	15	12	16
17.	डिंडोरी	3	3	4
18.	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	5	10	11
19.	गुना	8	9	11
20.	ग्वालियर	31	21	31
21.	हरदा	3	4	6
22.	इन्दौर	41	60	77
23.	जबलपुर	35	40	58
24.	झाबुआ	3	5	5
25.	कटनी	10	8	12
26.	मण्डला	7	5	10
27.	मंदसौर	10	10	13
28.	मुरैना	19	9	19
29.	नर्मदापुरम	11	8	12
30.	नरसिंहपुर	12	5	11

31.	नीमच	7	8	9
32.	पन्ना	4	3	7
33.	रायसेन	10	8	11
34.	राजगढ़	10	9	13
35.	स्तलाम	11	14	25
36.	रीवा	23	12	24
37.	सागर	19	16	22
38.	सतना	23	12	20
39.	सीहोर	9	5	13
40.	सिवनी	6	7	10
41.	शहडोल	6	7	11
42.	शाजापुर	10	5	7
43.	श्यापुर	6	3	5
44.	शिवपुरी	11	10	16
45.	सीधी	6	8	11
46.	सिंगरौली	12	6	13
47.	टीकमगढ़	9	10	12
48.	उज्जैन	20	16	26
49.	उमरिया	3	4	7
50.	विदिशा	11	10	14
51.	पश्चिम निवाड़ (मण्डलेश्वर)	14	7	14

F.NO 4784/E-1045327/XXI-B(1)/2026. - In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 5 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. XIX of 1958) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, on the recommendation of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, establishes the Courts of District Judges, Civil Judges, Senior Division and Civil Judges, Junior Division in each Civil Districts of the State of Madhya Pradesh, as specified against each Civil

District in the table given below, with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts of		
		District Judges	Civil Judges, Senior Division	Civil Judges, Junior Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Agar-Malwa	3	3	4
2.	Alirajpur	3	3	3
3.	Anuppur	6	5	6
4.	Ashoknagar	5	5	9
5.	Balaghat	6	7	14
6.	Barwani	7	5	7
7.	Betul	8	9	11
8.	Bhind	11	9	13
9.	Bhopal	27	38	52
10.	Burhanpur	4	5	6
11.	Chhatarpur	11	9	18
12.	Chhindwara	11	11	17
13.	Damoh	13	4	12
14.	Datia	6	5	7
15.	Dewas	15	16	17
16.	Dhar	15	12	16
17.	Dindori	3	3	4
18.	East Nimar (Khandwa)	5	10	11
19.	Guna	8	9	11
20.	Gwalior	31	21	31
21.	Harda	3	4	6
22.	Indore	41	60	77
23.	Jabalpur	35	40	58
24.	Jhabua	3	5	5
25.	Katni	10	8	12
26.	Mandla	7	5	10
27.	Mandsaur	10	10	13
28.	Morena	19	9	19
29.	Narmadapuram	11	8	12
30.	Narsinghpur	12	5	11
31.	Neemuch	7	8	9
32.	Panna	4	3	7
33.	Raisen	10	8	11
34.	Rajgarh	10	9	13
35.	Ratlam	11	14	25

36.	Rewa	23	12	24
37.	Sagar	19	16	22
38.	Satna	23	12	20
39.	Sehore	9	5	13
40.	Seoni	6	7	10
41.	Shahdol	6	7	11
42.	Shajapur	10	5	7
43.	Sheopur	6	3	5
44.	Shivpuri	11	10	16
45.	Sidhi	6	8	11
46.	Singrauli	12	6	13
47.	Tikamgarh	9	10	12
48.	Ujjain	20	16	26
49.	Umaria	3	4	7
50.	Vidisha	11	10	14
51.	West Nimar (Mandleshwar)	14	7	14

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2026

फा. क्र. E-1100073-इक्कीस-ब(एक)-718-2026.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)43 2009-2251-इक्कीस-ब (एक)-13, दिनांक 24 मई, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक, दिनांक 10 मई, 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 33 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु.क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"33.	श्री देवांश अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा के अतिरिक्त न्यायाधीश.	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा

F. No. E-1100073-XXI -B (1)-718-2026.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1)13, dated 10th May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 33 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“33.	Shri Devansh Agrawal, Additional Judge to I st Civil Judge, Senior Division, Dabra.	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाठक, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2026

पंजी क्र. 3215-2025-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील घुघरी, जिला मण्डला में विभागीय आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2022 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री वीरेन्द्र ग्वाले का निधन होने के कारण उक्त नोटरी अधिवक्ता का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 3464-2025-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील जबेरा, जिला दमोह में विभागीय आदेश दिनांक 6 नवम्बर 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री रमेश कुमार वर्मा का निधन होने के कारण उक्त नोटरी अधिवक्ता का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्र. SNT-14-0201-2025-Sec-2-इकतालीस (SNT) .—राज्य शासन, एतद्वारा, संलग्न परिशिष्ट “अ” अनुसार “मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति, 2026” (Madhya Pradesh Space Tech Policy, 2026)” जारी करता है.

2. यह आदेश मंत्रि-परिषद् के आयटम क्रमांक 19, दिनांक 13 जनवरी 2026 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेल्वेन्द्रन, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-अ
Department of Science & Technology



Government of Madhya Pradesh

**Madhya Pradesh SpaceTech Policy
2026**

Contents

I.	List of Abbreviations.....	1
II.	Scope & Coverage.....	2
A.	Upstream Segment.....	3
B.	Midstream Segment.....	4
C.	Downstream Segment.....	5
D.	Eligibility Criteria.....	6
1.	Background.....	7
2.	India's Space Sector: Legacy of Innovation and Global Leadership.....	8
3.	Need for SpaceTech Policy for Madhya Pradesh.....	9
3.1.	Strategic Advantages of Madhya Pradesh.....	10
3.1.1.	Academic & Research Excellence.....	11
3.1.2.	Manufacturing & Industrial Readiness.....	12
3.1.3.	Government Initiatives Aligning with SpaceTech.....	13
3.1.4.	Downstream Applications for Socio-Economic Impact.....	14
4.	Vision.....	15
5.	Objectives.....	16
6.	Policy Implementation, Coverage, and Validity.....	17
6.1.	Policy Validity.....	18
6.2.	Policy Amendments and Guidelines.....	19
6.3.	Policy Facilitation and Nodal Agency.....	20
6.4.	Operational Provisions.....	21
7.	Appeals and Dispute Resolution.....	22
8.	Key Pillars & Incentives.....	23
8.1.	Innovation & R&D.....	24
8.1.1.	Centre of Excellence (CoE) for SpaceTech.....	25
8.1.2.	R&D Centre in Ujjain for Astrophysics and Space Science.....	26
8.2.	Startup & Industry Support.....	27
8.2.1.	Funding & Prototyping Support.....	28
8.2.2.	IP Support.....	29
8.2.3.	Infrastructure & Certification.....	30
8.2.4.	Market & Employment Incentives.....	31
8.2.5.	Design Linked Incentive (DLI) for SpaceTech Applications.....	32
8.3.	Skill Development.....	33
8.3.1.	Academic Integration & Infrastructure.....	34
8.3.2.	Industry-Academia Linkages.....	35

8.3.3.	Advanced Capacity Building	
8.4.	Infrastructure Development	
8.4.1.	SpaceTech Infrastructure Capital Subsidy Scheme	
8.4.2.	Space Systems & Applications Park Development Incentive (<i>Including Manufacturing, Software & Dual-Use Capabilities</i>).....	
8.4.3.	SpaceTech Testing Infrastructure Support Scheme	
8.4.4.	High-Performance Computing (HPC) and Data Infrastructure Grant.....	
8.5.	SpaceTech Awareness, Education, and Scientific Infrastructure.....	
8.5.1.	Establishment of <i>Space Exploration Park: Antariksh Vihar</i>	
8.5.2.	Innovative Student Engagement Program – “Mission Kalpana”	
8.5.3.	Enhancing Participation in ISRO's YUVIKA Programme	
8.6.	Focus Sectors with Enhanced Incentives	
9	Customised Incentives for Mega Projects	

I. List of Abbreviations

- i. **AMPRI** - Advanced Materials and Processes Research Institute
- ii. **BEL** - Bharat Electronics Limited
- iii. **CCIP** - Committee for Customized Incentive Packages
- iv. **CETP** - Common Effluent Treatment Plant
- v. **CSIR** - Council of Scientific and Industrial Research
- vi. **DLI** - Design Linked Incentive
- vii. **FEA** - Finite Element Analysis
- viii. **FOG** - Fiber Optic Gyroscope
- ix. **GNC** - Guidance, Navigation, and Control
- x. **ISR** - Intelligence, Surveillance, Reconnaissance
- xi. **MMSKY** - Mukhya Mantri Seekho Kamao Yojana
- xii. **MPCST** - Madhya Pradesh Council of Science & Technology
- xiii. **MPSEDC** - Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation
- xiv. **MPSSDEGB** - Madhya Pradesh State Skill Development and Employment Generation Board
- xv. **NGP** - Norms, Guidelines, and Procedures
- xvi. **OEM** - Original Equipment Manufacturer
- xvii. **PNT** - Positioning, Navigation & Timing
- xviii. **RF** - Radio Frequency
- xix. **SatCom** - Satellite Communications
- xx. **SCVT** - State Council for Vocational Training
- xxi. **SI** - System Integrator
- xxii. **TDF** - Technology Development Fund
- xxiii. **TT&C** - Telemetry, Tracking, and Command
- xxiv. **UAS** - Unmanned Aerial Systems
- xxv. **UAV** - Unmanned Aerial Vehicle

II. Scope & Coverage

The MP SpaceTech Policy 2026 shall extend incentives to enterprises engaged in **upstream, midstream, and downstream space activities, including emerging and strategic domains**. Eligible units must demonstrate active involvement in one or more of the following focus areas, aligned with Madhya Pradesh's industrial, academic, and governance ecosystem.

A. Upstream Segment

Activities related to the **design, development, manufacturing, testing, launching, and monitoring** of space systems and infrastructure.

- i. **Satellite and Launch Vehicle Manufacturers:** Entities developing propulsion systems, payloads, avionics, structural components, and launch infrastructure. MP's Defence Corridor (Jabalpur) and Pithampur Auto & Aero Cluster offer precision engineering capabilities for these.
- ii. **Space Asset Developers:** Companies working on space stations, space tourism, in-orbit servicing, space mining, and orbital transfer vehicles.
- iii. **AIT Facilities and Space Manufacturing Parks:** Units setting up or operating facilities for spacecraft component fabrication, Assembly, Integration, and Testing (AIT), and simulation. MPSEDC and IIT Indore's CoE will support such initiatives.
- iv. **Software and Simulation Providers:** Firms offering spacecraft design, calibration, and mission simulation tools, supported by MP's Electronics Manufacturing Cluster and HPC infrastructure.

The upstream segment under the MP SpaceTech Policy shall encompass, *but not be limited to*, the following activities:

- **Design, manufacturing, assembly, integration, and testing** of components and sub-systems for launch vehicles, including:
 - Structural systems, Propulsion systems, Attitude Determination and Control Systems (ADCS), Avionics, Telemetry, Tracking, and Command (TT&C) systems, Power systems, Guidance, Navigation, and Control (GNC) systems, Thermal control systems, Separation and destruct mechanisms, other mission-critical subsystems.
- **Development and integration of satellite systems**, including:
 - Payload systems, Satellite bus platforms, Structural and propulsion systems, Attitude and Orbit Control Systems (AOCS), TT&C systems, Power and thermal control systems, GNC systems.
- **Ground segment infrastructure**, including:
 - Antenna and Radio Frequency (RF) systems, Signal processing and control systems, Ground-based Space Situational Awareness (SSA) and Space Domain Awareness (SDA) stations, Master Control Centres and Ground Stations.

B. Midstream Segment

Activities that bridge upstream manufacturing and downstream applications, focusing on **launch services, mission operations, and data transmission**.

- i. **Launch Service Providers:** Entities offering commercial launch services, including suborbital and orbital launches, leveraging MP's strategic location and logistics infrastructure.
- ii. **Mission Operations and Control Centres:** Facilities managing satellite operations, telemetry, and command systems, ensuring seamless communication between ground and space assets.
- iii. **Data Transmission and Ground Station Networks:** Providers of satellite data downlink services, ground station networks, and secure communication links for space missions.
- iv. **Space Traffic Management:** Systems for coordinating and monitoring space traffic, ensuring collision avoidance and orbital safety.
- v. **Space Situational Awareness (SSA) and Debris Management:** Developers of SSA/SDA systems, space robotics, refuelling missions, and quantum-enabled space solutions.

The midstream segment under the MP SpaceTech Policy shall encompass, *but not be limited to*, the following activities:

- **Launch and mission management**, including:
 - Launch vehicle integration, Mission planning and execution, Payload deployment, post-launch support.
- **Ground station operations**, including:
 - Data reception and processing, Telemetry and command services, Network coordination.
- **Space traffic and debris monitoring**, including:
 - Collision avoidance systems, Orbital tracking, Debris mitigation services.

C. Downstream Segment

Applications and services that utilize satellite data and infrastructure to deliver commercial, strategic, or governance value.

- i. **Earth Observation (EO)**: Platforms for satellite imagery analysis, geospatial intelligence, and sector-specific insights (agriculture, water management, disaster resilience, urban planning) MP's Smart Cities Mission and Kisan Drone initiatives are key beneficiaries.
- ii. **Satellite Communications (SatCom)**: Developers of ground segment equipment, broadband platforms, IoT connectivity, and emergency communication systems.
- iii. **Positioning, Navigation & Timing (PNT)**: Providers of precision timing, asset tracking, and integrated logistics solutions.
- iv. **Data Analytics and Visualization**: Enterprises using AI/ML, big data, and cloud computing, to derive actionable insights from satellite data. Supported by IISER Bhopal and Global Skills Park.

In addition, the Government of Madhya Pradesh shall promote a **Digital Public Infrastructure (DPI)** approach to enable seamless access to space-derived data and services. This will include the development of:

- Shared data repositories and analytics platforms.
- Integration tools for public and private sector applications.
- Research environments for academic and startup-led innovation.

These initiatives will empower government departments, startups, MSMEs, and academic institutions to discover, consume, and build upon space-based datasets and services, fostering inclusive innovation and socio-economic impact across the state.

The MP SpaceTech Policy 2026 shall extend incentives to enterprises engaged in **upstream, midstream and downstream space activities, including emerging and strategic domains**. Eligible units must demonstrate active involvement in one or more of the following focus areas, aligned with Madhya Pradesh's industrial, academic, and governance ecosystem.

These initiatives will empower government departments, startups, MSMEs, and academic institutions to discover, consume, and build upon space-based datasets and services, fostering inclusive innovation and socio-economic impact across the state.

D. Eligibility Criteria

To qualify for any incentives, units must:

- i. Indian Non-Government Entities (NGEs) recognized by IN-SPACE, as defined under the Indian Space Policy 2023 and its associated Norms, Guidelines, and Procedures.
- ii. Indian entities registered as vendors to ISRO, with documented proof of supplying goods or services relevant to the focus sectors of this policy within the last three (3) years.
- iii. Indian entities registered as vendors to global space Original Equipment Manufacturers (OEMs) or System Integrators (SIs), with documented proof of supplying relevant goods or services over the past five (5) years.
- iv. Non-Indian entities that are globally recognized OEMs, SIs, or component manufacturers in the space sector, with documented proof of supplying relevant goods or services over the past five (5) years. Their participation in Indian projects shall require prior authorization from IN-SPACE, as per the Indian Space Policy 2023.

- v Startups/entities in the space-tech sector recognized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), provided they:
 - a. Maintain a physical office in Madhya Pradesh.
 - b. Demonstrate relevance to the focus sectors of this policy through supporting documents such as Chartered Accountant (CA) certificates, Work orders, Invoices,
 - c. Proof of deployment of space-related solutions (if applicable) and are registered with IN-SPACE (if engaged in space activities requiring authorization).
- vi All applicants must submit supporting documentation (such as CA certificates, work orders, invoices, or proof of deployment) to establish relevance to the focus sectors of this policy.
- vii All companies, entities, or enterprises seeking benefits under this policy must thoroughly review the provisions and comply with the requirements outlined in the policy and its operational guidelines.
- viii Any applicant (apart from start-ups) must be registered under the relevant commercial laws of Madhya Pradesh, such as the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act or the Factories Act, at the time of application.
- ix The Department of Science and Technology (DST), Government of Madhya Pradesh, shall operationalize an online registration mechanism for space sector companies and entities. Only those registered through this mechanism shall be eligible to apply for incentives under this policy. Detailed registration guidelines will be issued as part of the operational framework.

1. Background

The **global space economy**, valued at approximately **USD 600 billion**, is projected to exceed **USD 1.8 trillion by 2040**, driven by advancements in satellite technology, miniaturization, and private sector participation. At present, the **Indian space economy** is valued at approximately **USD 8.4 billion** and the Indian government envisions scaling the space economy to **USD 44 billion by 2033**, including **US \$11 billion** in exports amounting to 7-8% of the global share, through reforms like the Indian Space Policy 2023 and IN-SPaCE. The sector is transitioning from government-led to a public-private model, fostering innovation in satellite manufacturing, launch services, earth observation, and downstream applications.

States like Karnataka and Telangana have already established robust SpaceTech ecosystems, leveraging their aerospace and IT strengths. Karnataka's policy focuses on skill development, infrastructure, and innovation, while Telangana emphasizes PPP models, testing facilities and downstream applications. Madhya Pradesh, with its defense corridor, precision manufacturing hubs (Pithampur), and academic institutions (IIT Indore), is uniquely positioned to emerge as a competitive player in this sector.

The **MP SpaceTech Policy 2026** seeks to capitalize on these opportunities by fostering **R&D, manufacturing, and commercialization**, aligning with national goals while addressing state-specific needs such as **agriculture, disaster management, and urban planning** through space-based solutions.

2. India's Space Sector: Legacy of Innovation and Global Leadership

Over the years, India's space sector has achieved extraordinary milestones, showcasing its technological excellence and strategic importance. The Indian Space Research Organisation (ISRO) has established itself as a global leader, renowned for its cost-effective and reliable missions. From deploying satellites for communication, navigation, and earth observation to pioneering interplanetary missions like **Mangalyaan (Mars Orbiter Mission)**, India became the **first Asian nation and fourth in the world** to reach Martian orbit.

The historic success of **Chandrayaan-3**, which achieved a soft landing on the Moon's South Pole, has unlocked new opportunities for international collaboration and commercialization of space technologies. India has already partnered with space agencies from the **USA, UK, Singapore, Germany** and other nations, launching **429 foreign satellites** and generating **\$174 million in revenue**.

India's growing self-reliance in space technology is evident through its advanced satellite fleet, including:

- **Navigation Satellites** – Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS)
- **Communication Satellites** – GSAT series
- **Space Exploration** – Aditya L-1, India's first solar mission, reinforcing its commitment to scientific discovery.

The space sector's impact extends across critical industries such as **agriculture, transportation, telecommunications, and disaster management**, driving innovation through cutting-edge research. With an estimated **\$44 billion market potential by 2033**, India aims to capture **8% of the global space economy**, targeting **\$11 billion in exports**. To accelerate growth, the government has introduced key reforms, including the **Indian Space Policy 2023**, fostering public-private partnerships and empowering startups. These initiatives aim to enhance technological advancements while contributing to socio-economic development. This dynamic evolution positions India as a formidable player in the global space arena, blending innovation, affordability, and strategic collaborations.

3. Need for SpaceTech Policy for Madhya Pradesh

Madhya Pradesh (MP) is strategically positioned to emerge as a leading hub for **space technology (SpaceTech) innovation, manufacturing, and applications**. The state's existing strengths in **academia, industry, and governance** provide a robust foundation to develop a thriving SpaceTech ecosystem. A dedicated **Madhya Pradesh SpaceTech Policy** is essential to harness these advantages, address critical gaps, and position the state as a key contributor to India's **\$44 billion space economy by 2033**.

3.1. Strategic Advantages of Madhya Pradesh

3.1.1. Academic & Research Excellence

Madhya Pradesh hosts premier institutions that can drive **SpaceTech R&D and skill development**:

- **IIT Indore** – Offers India's **first B.Tech in Space Engineering**, along with advanced research in satellite systems, propulsion, and AI-driven space analytics.
- **IISER Bhopal** – Strong focus on **astrophysics, remote sensing, and computational modelling** for space applications.
- **Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT), Indore** – Specializes in **optics, laser technology, and advanced materials**, critical for satellite payloads and sensors.
- **Madhya Pradesh Council of Science & Technology (MPCST)** – As the apex science and technology body of the state, MPCST plays a pivotal role in promoting applied research and innovation. Its Remote Sensing Applications Centre supports geospatial analytics, satellite imagery interpretation, and spatial data infrastructure for agriculture, water resources, and disaster management. MPCST also facilitates policy advisory, infrastructure development, and scientific outreach aligned with SpaceTech objectives.
- **BEL Centre of Excellence, IT Park Sinhasa** – An initiative of Bharat Electronics Limited focusing on advanced electronics, embedded systems, and secure communication technologies. The center supports the development of **defence-grade communication platforms**, aligning with national security and space exploration goals.
- **CSIR-Advanced Materials and Processes Research Institute (AMPRI), Bhopal** – A premier national research institute under CSIR, AMPRI focuses on advanced materials, composites, and lightweight alloys essential for space-grade structures. Its expertise in nanomaterials, metallurgy, and structural engineering supports the development of satellite components, launch vehicle parts, and thermal protection systems.
- **Global Skills Park, Bhopal** – A state-of-the-art skill development hub with potential to offer specialized training programs in **space drone technology and space data analytics**, bridging the industry-academia gap.

3.1.2. Manufacturing & Industrial Readiness

Madhya Pradesh offers a **robust industrial ecosystem** with specialized infrastructure, supply chain advantages, and sectoral synergies that position it as an ideal hub for **SpaceTech manufacturing and innovation**.

- State-of-the-Art Industrial Infrastructure**
 - 322 Industrial Parks (including 208 MSME parks) with plug-and-play facilities.
 - Multi-Modal Logistics Park – Streamlined supply chains for raw materials (e.g., rare earth metals from MP's titanium theme park).
 - Power Surplus (31 GW) – Competitive tariffs for energy-intensive space manufacturing.
- Electronics Manufacturing Expertise**
 - Electronics Manufacturing Cluster (EMC) – One of India's first EMCs supports space-grade PCB fabrication, semiconductor packaging, and radiation-hardened electronics.
- Aerospace & Defence Synergies**
 - Defence Industrial Corridor (Jabalpur) – Hosts ordnance factories, ammunition manufacturers, and R&D units, providing a ready base for space-grade propulsion systems, avionics, and structural components.
 - DRDO & ISRO Collaborations – Existing partnerships with RRCAT (Indore) and Defence PSUs for advanced materials (e.g., composites, titanium) critical for space applications.
- Auto Sector's Precision Engineering Legacy**
 - Pithampur Auto Hub – Capabilities in CNC machining, casting, and lightweight alloy fabrication can be repurposed for spacecraft components and ground support equipment. Asia's largest automotive test track and precision engineering units can be leveraged for satellite chassis, launch vehicle assemblies, and thermal protection systems.
 - EV & Battery Tech – Growing ecosystem for energy storage solutions applicable to satellite power systems.

Pharmaceutical and BioTech Expertise

- 300+pharmacompaniesexportingto160+countries,5thlargestIndianstateintermsofpharmaceutical exports. Cleanroom facilities and sterile manufacturing processes align with satellite AIT (Assembly, Integration, Testing) requirements.
- Medical Device Park (Medical device park in Vikram Udyogopuri Ujjain) – Expertise in high-precision instrumentation (sensors, optics) adaptable for satellite payloads

3.1.3. Government Initiatives Aligning with SpaceTech

MP's focus on **emerging technologies** complements SpaceTech growth

- **Madhya Pradesh Drone Promotion and Usage Policy, 2025** – Synergies in unmanned aerial systems (UAS) and satellite-based surveillance
- **MP Startup Policy, 2025** – Supports **SpaceTech startups** with funding, incubation and mentorship.
- **Aerospace and Defence Production Policy, 2025** – Aims to strengthen existing industrial infrastructure and develop new facilities for aerospace and defence manufacturing
- **Biotechnology Policy, 2025** – Leveraging biotech innovations for space-grade materials, life support systems, and sustainable space agriculture through cross-sector R&D and infrastructure
- **Electric Vehicle Manufacturing Policy, 2025** – Accelerating the adoption of electric vehicles and developing hubs for EV Manufacturing and its associated ecosystem
- **Medical Devices Policy, 2025** – Emphasis on establishing and expanding medical device manufacturing units which includes electrical medical devices (ECG Machines, MRI, CT scanners, ultrasound devices etc.).
- **Renewable Energy Equipment Manufacturing Policy, 2025**- Synergies in manufacturing of solar components and energy storage systems.

3.1.4. Downstream Applications for Socio-Economic Impact

Space-based technologies are transforming key sectors like agriculture, water resources, disaster management, and urban planning through applications such as satellite monitoring, remote sensing and GIS mapping. These innovations lead to improved efficiency, sustainability, and faster response times.

This list is not limited and continues to grow as technology evolves.

Sector	SpaceTech Applications	Impact
Agriculture	Satellite-based crop monitoring, soil health analysis and precision farming.	Increased yield, reduced water wastage
Water Resources	Remote sensing for groundwater mapping and flood forecasting.	Better resource management.
Disaster Mgmt.	Real-time satellite imagery for cyclone tracking, landslide prediction.	Faster emergency response
Urban Planning	GIS mapping for infrastructure development, traffic management.	Sustainable cities

4. Vision

"To establish Madhya Pradesh as a leading destination for SpaceTech innovation, manufacturing, and application-driven solutions, contributing to India's global space economy."

5. Objectives

- i. **Develop infrastructure** for satellite/launch vehicle manufacturing, advanced materials and testing, ground communication and data analytics etc.
- ii. **Enhance skilling** via specialized courses and industry-aligned training and create **high-skilled jobs** in this sector
- iii. **Foster R&D** through academia-industry collaboration and CoEs.
- iv. **Promote adoption** of space technologies in governance (agriculture, urban planning, disaster management)
- v. **Attract around 30 Spacotech Startups/companies, investment of ₹ 900 Crores and a direct employment generation of 2000 highly skilled people** in next 5 years

6. Policy Implementation, Coverage, and Validity

6.1. Policy Validity

The MP SpaceTech Policy 2026 shall remain in force for a period of ten (10) years from the date of its official notification by the Government of Madhya Pradesh, unless extended, amended, or superseded by a subsequent policy issued by the Department of Science and Technology (DoST), Government of Madhya Pradesh.

6.2. Policy Amendments and Guidelines

- i. The Department of Science and Technology shall be the competent authority to issue clarifications, amendments, and operational guidelines from time to time to ensure effective implementation of the policy.
- ii. All such amendments shall be notified through official government channels and shall be binding on all stakeholders.
- iii. The Department shall ensure that all rules and procedures are transparent, consistent, and user-friendly, with a focus on ease of access and compliance for startups, MSMEs, academic institutions, and large enterprises.

6.3. Policy Facilitation and Nodal Agency

- i. The Department of Science and Technology shall act as the apex coordinating body for inter-departmental collaboration and policy oversight.
- ii. The Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation (MPSEDC) shall serve as the Nodal Agency for the implementation of the MP SpaceTech Policy 2026.
- iii. A dedicated Facilitation Cell shall be established within MPSEDC to:
 - Provide end-to-end support to startups, MSMEs, and investors.
 - Assist in obtaining regulatory approvals, land allotment, and testing access.
 - Serve as a single-window interface for all policy-related services and grievance redressal.

6.4. Operational Provisions

i. No Duplication of Benefits

Enterprises that have availed benefits under any other investment promotion policy of the Government of Madhya Pradesh shall not be eligible to claim incentives under this policy, irrespective of the scheme or department, unless explicitly permitted.

ii. Online Application and Disbursement System

All applications for incentives shall be submitted through a dedicated **Policy Incentives Portal**, managed by MPSEDC

- The portal shall operate on a **"No Query" model**: once an application is submitted with all required documents and is accepted, no further queries shall be raised unless discrepancies are found during verification.
- The portal shall also provide real-time tracking, automated alerts, and a digital dashboard for applicants.

iii. Compliance with National Regulations

All entities availing benefits under this policy must comply with applicable national regulations, including but not limited to:

- Indian Space Policy 2023 and its Norms, Guidelines, and Procedures (NGP) issued by IN-SPACe.
- Environmental, safety, and quality standards prescribed by ISRO, DRDO, and BIS etc
- Any future amendments or sector-specific rules issued by the Government of India

7. Appeals and Dispute Resolution

- The **Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary**, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh, shall be the **Appellate Authority** for all matters related to the interpretation, implementation, and dispute resolution under this policy.
- Appeals must be submitted in writing within 30 days of the disputed decision, along with supporting documents.
- The decision of the Appellate Authority shall be final and binding.

8. Key Pillars & Incentives

8.1. Innovation & R&D

Innovation and research form the cornerstone of Madhya Pradesh's SpaceTech ambitions. By fostering cutting-edge research in satellite systems, propulsion, and space analytics, the state aims to build indigenous capabilities that align with national and global space missions. Institutions like IIT Indore, CSIR-AMPRI and RRCAT Indore offer a strong foundation for advanced R&D in optics, advanced materials, and AI-driven analytics. This pillar is crucial for Madhya Pradesh to transition from a consumer of space technologies to a developer of original solutions.

8.1.1. Centre of Excellence (CoE) for SpaceTech

The Government of Madhya Pradesh shall establish an integrated Centre of Excellence (CoE) and Incubation Network for SpaceTech, to be anchored at a **national institute of importance** as the central **Hub**. This integrated entity will combine advanced R&D with grassroots entrepreneurship, creating a seamless pipeline from innovation to commercialization.

i. Structure: The Hub & Spoke Model

- **The Hub :** The central Hub will be the nerve center, housing advanced R&D facilities, core technical expertise, and the primary incubation program for high-potential, deep-tech startups.
- **The Spoke Network:** A network of state engineering colleges and universities across Madhya Pradesh (e.g., in Bhopal, Gwalior, Jabalpur, Indore, Ujjain, Sagar, Rewa) will act as regional Spokes. These Spokes will focus on grassroots awareness, primary mentorship, prototype development, and funnelling top-tier talent and ideas to the central Hub.

ii. Key Functions

a) Advanced R&D & Prototyping

- Host the **SmallSat Digital Twin Lab** and **Space Innovation Sandbox** for simulation and testing.
- Conduct fundamental and applied research in satellite systems, propulsion, SSA, and space instrumentation.
- Provide incubated startups with privileged access to high-end lab infrastructure, simulation data, and research mentorship.
- Run a flagship incubation program offering seed funding, mentorship from institute's faculty/industry experts, and access to the CoE's labs.
- Facilitate connections to venture capital and the **MP SpaceTech AIF Fund**.
- Manage the "Spoke to Hub" pipeline, identifying and elevating the most promising teams from regional Spokes for intensive support at the Hub.
- Offer introductory workshops, ideation challenges, and pre-incubation support.

- Provide basic lab access, 3D printing, and workspace for early-stage prototyping.
- Act as local nodes for the "Mission Kalpana" student engagement program, fostering a statewide culture of space innovation.

b) Implementation

- The Department of Science & Technology, in collaboration with MPSEDC, industry experts and the selected institute, will be responsible for establishing this integrated entity.
- A formal agreement will define the roles, responsibilities, and resource-sharing mechanisms between the Hub and the Spoke institutions.
- The Hub will be governed by a joint committee comprising representatives from the Government, academia, and the space industry.

8.1.2. R&D Centre in Ujjain for Astrophysics and Space Science

A dedicated R&D Centre will be established in Ujjain; in collaboration with IIT Indore or any other institute of national importance. Ujjain is a city with deep-rooted astronomical heritage, historically known as the "*Greenwich of Ancient India*". Ujjain was the prime meridian for Indian astronomical calculations and the home of Varāhamihira, a legendary astronomer whose contributions laid the foundation for Indian space sciences.

This centre will focus on astrophysics, deep space observation, and satellite-based analytics, integrating traditional astronomical knowledge with modern space science. It will act as a collaborative platform for research in payload design, space optics, and AI-powered data interpretation, reinforcing Ujjain's legacy as a beacon of scientific excellence.

8.2. Startup & Industry Support

Supporting startups and industry is vital to accelerate commercialization and build a vibrant SpaceTech ecosystem in Madhya Pradesh. This pillar focuses on enabling early-stage ventures to scale through access to infrastructure, mentorship, and market linkages. Encouraging private-sector participation will help bridge the gap between research and market-ready products, fostering innovation in satellite components, ground systems, and data services. By nurturing startups, MP can tap into the national momentum created by reforms like IN-SPACe and the Indian Space Policy 2023. This pillar is especially important for Madhya Pradesh to attract investments, create high-skilled jobs, and position itself as a competitive destination for space entrepreneurship, complementing the efforts of ISRO and other national agencies.

The following incentives are designed to support early-stage ventures, MSMEs, and industry players across the space value chain.

8.2.1. Funding & Prototyping Support

a) Early-Stage Financing

- Idea-to-Prototype Grant:** 50% grant up to ₹75 lakh for PoC development and validation. Proposals for the Idea-to-Prototype Grant will be evaluated by the Department of Science & Technology, in consultation with MPSEDC, based on technical merit, commercial potential, and execution capability. The exact eligibility criteria, detailed evaluation parameters, and application process will be comprehensively outlined in the subsequent Policy Guidelines.
- Strategic Fund Infusion:** To provide scalable, market-driven venture capital, the Government of Madhya Pradesh shall establish a dedicated fund. This corpus shall be deployed by acting as a Strategic Limited Partner, infusing funds into existing SEBI-registered Category I Alternative Investment Funds (AIFs).
 - **Objective:** To secure dedicated venture capital for Madhya Pradesh-based SpaceTech startups and MSMEs.
 - **Process:** The Department of Science & Technology, in consultation with MPSEDC, shall identify and select AIFs managed by professional fund managers with a proven track record in Deep Tech, Aerospace, or Defence.

- **Matching Fund Model:** The state government will provide capital to the selected AIF(s) specifically to match the funding allocated to eligible Madhya Pradesh-based startups. For example, if the AIF invests ₹5 Crores in a qualifying startup, the state government will contribute an equal ₹5 Crores through the AIF, effectively doubling the total funding to ₹10 Crores for the startup.
- **Corpus:** An initial corpus of **₹200 Crores** shall be allocated for this purpose to facilitate the matching fund model.

b) Technology Adoption

- iii. **Technology Acquisition Support:** 50% reimbursement up to ₹1 crore for licensing/transfer from ISRO/DRDO/international institutions. Disbursement would be done in three phases:
 - 30% for evaluation,
 - 40% for acquisition,
 - 30% for implementation.

8.2.2. IP Support

- 50% reimbursement of patent costs (capped at ₹5 lakh for Indian patents; ₹10 lakh for international).

8.2.3. Infrastructure & Certification

a) Testing & Certification

- i. 50% subsidy up to ₹1 crore for environmental/EMC testing.
- ii. 75% reimbursement for ISRO/IN-SPACE/ISO certifications (capped at ₹10 lakh).

b) Incubation Support

- 50% capital grant up to ₹1 crore for setting up SpaceTech incubators.

8.2.4. Market & Employment Incentives

a) Global Market Access

- 50% reimbursement up to ₹15 lakh/year for international trade fairs and collaborations.

b) Employment Generation

- ₹5,000/month per new technical hire (24 months max, ₹15 lakh/startup cap).

c) Revenue-Linked Incentive

- 15% of revenue for downstream solutions (capped at ₹50 lakh/startup).

8.2.5. Design Linked Incentive (DLI) for SpaceTech Applications

To support startups, MSMEs, and enterprises engaged in the **design and development** of new **products, systems, and applications** in the SpaceTech sector, including satellite systems, payloads, ground segment software, SSA/SDA tools like AI-driven collision alerts, debris removal prototypes, orbital simulation software, and space robotics.

a) Incentive Structure

- **Milestone-linked reimbursement** of up to 50% of eligible expenditure
- **Ceiling:** 50 Lakhs per application
- Disbursed in tranches based on the following milestones:
 - Completion of design and simulation: 10%
 - Prototype development and validation: 10%
 - Demonstration in operational environment: 10%
 - Readiness for volume production or deployment: 20%

8.3. Skill Development

Skill development is a foundational pillar that ensures the availability of a qualified workforce to support the growth of the SpaceTech sector in Madhya Pradesh. With the emergence of new technologies in satellite manufacturing, data analytics, and space applications, there is a pressing need to train engineers, technicians, and researchers in specialized domains. Institutions like IIT Indore, IISER Bhopal, and the Global Skills Park offer a strong base for launching academic programs and industry-aligned training. This pillar aims to bridge the talent gap by integrating space education into mainstream curricula and promoting hands-on learning through internships and lab-based modules. For Madhya Pradesh, investing in skill development is critical to build a self-reliant ecosystem that can support manufacturing, testing, and downstream services. It also ensures inclusive growth by enabling youth from across the state to participate in the space economy, thereby enhancing regional capabilities and long-term competitiveness.

8.3.1. Academic Integration & Infrastructure

a) Curriculum and Lab Development

- Policy will support the undergraduate and masters' program in Space Technology domain in various institutes across the state by providing a one-time grant of Rs. 20 lakh per institute during the policy tenure.
 - Curriculum design (AICTE-approved degrees in SpaceTech, remote sensing, data analytics)
 - SSA-certified courses: Orbital mechanics, space law, and AI/ML for SSA at IIT Indore/Global Skills Park
 - Lab equipment, simulation software, and faculty training.

8.3.2. Industry-Academia Linkages

a) Internships & Apprenticeships

- i. **Stipend Program:** To foster industry-aligned practical experience, a stipend support program is established for students of Madhya Pradesh.
 - **Eligible Host Organizations:** Internship opportunities must be provided by eligible units registered with IN-SPACE, recognized vendors to ISRO/global OEMs, or DPIIT-recognized SpaceTech startups operating anywhere in the country.
 - **Eligible Beneficiaries:** Students must be domiciles of Madhya Pradesh, enrolled in undergraduate or postgraduate programs in relevant STEM fields at UGC/AICTE-recognized institutions.
 - **Stipend Support:**
 - A stipend of **₹10,000 per month per student** for a maximum duration of **6 months**.
 - **75% of the stipend** will be reimbursed to the host organization by the Government.
 - The host organization is required to contribute the remaining **25%**.
 - **Certification:** A joint certificate will be issued by the host organization and the nodal agency (MPSEDC) upon successful completion of the internship.

ii. Faculty Industry Immersion:

- Professional development programs and educational activities designed to enhance the skills, knowledge, and teaching effectiveness of educators, typically within academic institutions of national repute will be supported within this policy. An annual outlay of **Rs. 50 lakh** will be earmarked for the training activities for upskilling technical education faculty in the state.

b) Employee Upskilling

- Skilling reimbursement will be provided to eligible units at the rate of Rs. 50,000 per employee for course fee or 50% of the costs, whichever is lower for undertaking training programs. Government affiliated or accredited courses (minimum 3

months) shall be considered for this incentive. The Skilling Reimbursement will be available for 3 years to eligible units for 25% of the workforce, with an upper limit of 50 employees per annum. To calculate the workforce, number of employees who have completed at least 6 years in the SpaceTech or Spacetech technology related sector (total experience) shall be considered. This benefit will be available only to employees who are domicile of Madhya Pradesh state.

8.3.3. Advanced Capacity Building

a) SpaceTech Fellowships

- **₹1 lakh/year for 3 years** for researchers/entrepreneurs (retained as standalone to attract top talent).

8.4. Infrastructure Development

Infrastructure development is the backbone of Madhya Pradesh's vision to become a SpaceTech hub. This pillar focuses on creating world-class facilities for satellite and launch vehicle manufacturing, testing, and data processing. With over 300 industrial parks, a defense corridor, and precision engineering clusters, MP is well-positioned to host space-grade infrastructure. Establishing clean rooms, environmental testing labs, optical equipments, lasers and high-performance computing centers will enable the state to support end-to-end space missions. The following incentives are proposed to support the creation of world-class facilities for satellite and launch vehicle manufacturing, testing, and data processing, and to catalyse public-private partnerships across the state.

8.4.1. SpaceTech Infrastructure Capital Subsidy Scheme

To encourage the establishment of space-grade infrastructure such as clean rooms, vacuum chambers, vibration testing facilities, and satellite integration bays, the Government of Madhya Pradesh shall provide following subsidies to eligible enterprises.

- Up to **40% of capital investment** in plant, machinery, and infrastructure, subject to a ceiling of ₹150 crore per unit. The **minimum eligible capital investment** required to avail this subsidy shall be **₹10 crore**.
- **Additional 2% incentives** for women led entities. For the purpose of this policy, a Women-Led Entity shall mean an enterprise in which **one or more women promoters/founders hold at least 26% equity stake**, and at least one woman is actively involved in strategic decision-making or day-to-day management of the entity.
In the case of startups, this may include women founders, co-founders, or partners holding a significant managerial or leadership role, as evidenced through incorporation documents or self-declaration.
- **Land rebate and stamp duty exemption** as per IT, ITeS and ESDM Investment Promotion Policy 2023

Note: Eligible Capital Investment includes expenditure on new plant and machinery (including eligible imported/refurbished machinery with a minimum useful life), factory buildings and sheds used for production, in-house R&D facilities (within prescribed caps), eligible portions of captive renewable power plants, and approved energy-saving systems. It excludes land cost, old or obsolete machinery, compound walls, internal roads, residential buildings, vehicles, working capital, pollution control systems (ETP/STP/ZLD), and general power infrastructure unless specifically permitted.

8.4.2. Space Systems & Applications Park Development Incentive (Including Manufacturing, Software & Dual-Use Capabilities)

To promote cluster-based development across the **space technology value chain**, the Government of Madhya Pradesh shall support the establishment of **Space Systems & Applications Parks** including **Dual-Use Technology Hubs**.

These Parks may host units engaged in **space manufacturing, satellite and launch vehicle integration and testing, space software development, satellite data analytics, Earth Observation (EO) applications, mission operations, and dual-use component manufacturing** for defence, aerospace, and satellite applications.

The State Government shall facilitate the creation of **common infrastructure and shared facilities** within such Parks, including clean rooms, AIT facilities, environmental and vibration testing labs, secure data and mission operations infrastructure, and other specialised facilities required for space technology development. These facilities shall be developed and operated through **PPP arrangements**, leveraging private sector expertise.

- To support establishment of such Parks, the State Government shall facilitate a **dedicated support of up to ₹200 crore** towards development of shared infrastructure.
- PPP models may include DBFO, BOT, BOO, Hybrid Annuity, or any other model approved by the competent authority, in accordance with applicable State and Central PPP guidelines.

8.4.3. SpaceTech Testing Infrastructure Support Scheme

To reduce dependency on external testing facilities and accelerate product validation, the Government shall support the establishment of environmental, EMI/EMC, and performance testing labs.

- Up to **₹15 crore per facility** as capital grant for equipment and setup.
- **30% reimbursement** of operational testing costs for startups and MSMEs using these facilities.

8.4.4. High-Performance Computing (HPC) and Data Infrastructure Grant

To support satellite data analytics, simulation, and AI-driven modelling, the Government shall fund the establishment of HPC centers and satellite data repositories.

- Up to **₹10 crore per centre** for infrastructure, software, and data acquisition.
- Free access to MP-based startups and academic researchers for the first year.

8.5. SpaceTech Awareness, Education, and Scientific Infrastructure

Space technology is rapidly transforming global industries, and Madhya Pradesh aims to cultivate a future-ready workforce by embedding space science into education and public engagement. This section of the policy focuses on inspiring students and communities through structured outreach, immersive learning environments, and flagship infrastructure. These initiatives will ensure inclusive access to space education and position MP as a cradle of space innovation.

Madhya Pradesh Council of Science & Technology (MPCST) will be responsible for undertaking the implementation of awareness, education, and scientific infrastructure. On behalf of the Department of Science & Technology, MPCST will drive programs to inspire students and the public, integrate space science into educational curricula, and develop flagship projects such as the Space Exploration Park, 'Antariksh Vihar'.

8.5.1. Establishment of Space Exploration Park: Antariksh Vihar

To inspire scientific curiosity and innovation among students and the public, the Government of Madhya Pradesh shall establish a world-class **Space Exploration Park 'Antariksh Vihar'** as part of MPCST's flagship Science City initiative. This gallery will serve as a dynamic, immersive space for learning and exploration of space technologies.

i. Components

- SpaceTech Pavilion with satellite models, launch simulations, and VR experiences.
- Planetarium with real-time data feeds from ISRO missions.
- Innovation labs for school and college students.
- Auditorium for lectures, exhibitions, and national science festivals.

8.5.2. Innovative Student Engagement Program – "Mission Kalpana"

To cultivate early interest in space science through a state-wide student challenge named after **Kalpana Chawla**, India's first woman in space. The department would set aside ₹1 crore annual budget for awards, logistics, and mentorship.

i. Program Features

- Annual competition for students from grades 6 to 12.
- Themes include "Design Your Own Satellite," "Space Farming," and "Mars Habitat Challenge."
- Top 100 students to receive mentorship, lab access, and exposure visits to ISRO centers.

8.5.3. Enhancing Participation in ISRO's YUVIKA Programme

YUVIKA (Yuva Vigyani Karyakram) is ISRO's flagship outreach initiative aimed at school students in Class 9, designed to foster early interest in space science and technology. The program includes lectures by scientists, facility visits, hands-on activities, and interaction with space professionals, offering a unique opportunity to experience India's space ecosystem firsthand. To ensure greater representation of Madhya Pradesh in this prestigious national program, the Department of Science and Technology shall undertake the following initiatives:

i. Key Activities

- **Statewide Awareness Campaigns:** Organize district-level outreach sessions in collaboration with schools and education departments to inform students and teachers about the YUVIKA program and its application process.
- **Nomination Facilitation:** Set up a dedicated support cell to assist eligible students in completing the application process, including documentation, essay writing, and online registration.
- **Merit-Based Travel and Participation Support:** Provide travel and incidental expense support to selected students from Madhya Pradesh, especially those from rural and tribal districts, to ensure equitable access.
- **One-Time Grant and Recognition:** Students from Madhya Pradesh who are selected for the YUVIKA program shall receive a one-time grant of ₹25,000 from the Department of Science and Technology. These students will also be designated as "Ambassadors for Science" for the state, representing Madhya Pradesh in national science outreach and education initiatives.

8.6. Focus Sectors with Enhanced Incentives

To accelerate growth in **high-potential, high-impact** segments of the SpaceTech ecosystem, the Government of Madhya Pradesh shall provide **1.5× multiplier benefits (subject to existing caps)** to enterprises engaged in the following Focus Sectors. These segments are strategically chosen based on MP's inherent strengths in academia, industry, and governance infrastructure

S. No.	Focus Sector	Segment	Eligible Activities & Examples
1.	Space Systems Testing & Qualification	Midstream	Eligible Activities: Environmental testing labs (thermal, vacuum, vibration), EMI/EMC testing facilities, structural testing, propulsion test stands, and related simulation software. Examples: SmallSat qualification centers, commercial testing hubs for private and ISRO missions, development of FEA and simulation tools
2.	Advanced Materials & Propulsion Systems	Upstream/Midstream	Eligible Activities: R&D and manufacturing of advanced propulsion systems (electric, green), composite materials for launch vehicles/satellites, radiation-hardened electronics, and miniaturized payloads, Radiation-resistant fiber optics, FOGs, laser communication etc. Examples: Electric propulsion thrusters, lightweight alloy tanks, Fiber gyros, satellite bus structures, precision payload components
3.	Agricultural & Environmental Decision Analytics	Downstream	Eligible Activities: Development of AI/ML platforms for satellite imagery analysis, crop health monitoring, yield prediction, soil moisture analysis, flood/drought forecasting, and urban planning. Examples: Hyperspectral data analytics SaaS for agriculture, groundwater mapping services, GIS-based infrastructure planning tools.

4.	Ground Systems & SSA Infrastructure	Midstream	Eligible Activities: Establishment of Telemetry, Tracking & Command (TT&C) ground stations, SSA ground stations (radars/telescopes), data downlink centers, and manufacturing of related RF equipment. Examples: Commercial ground station networks, SSA radar installations for debris tracking, manufacturing of antenna systems.
----	-------------------------------------	-----------	---

i. Incentive Calculation Example

Policy Reference:

- Incentive Head: *SpaceTech Infrastructure Capital Subsidy Scheme* (8.4.1)
- Base Incentive: 40% of capital investment, up to ₹150 crore.
- Focus Sector Bonus: 1.5× multiplier (Testing & Simulation Services).

Incentive Calculation for a Total Investment of ₹5 crore (machinery + infrastructure)

- Base Subsidy: 40% of ₹5 cr = ₹2 crore.
- Focus Sector Boost: ₹2 cr × 1.5 = ₹3 crore.
- Cap Check: ₹3 cr < ₹150 cr → Eligibility of ₹3 crore incentive

9. Customised Incentives for Mega Projects

To attract anchor investments and strategic infrastructure in the SpaceTech sector, the Government of Madhya Pradesh shall offer a special incentive package for **Mega Projects**, defined as projects with a minimum committed investment of ₹75 crore in eligible SpaceTech activities. These projects may apply for a **customised incentive package** through the **Committee for Customized Incentive Packages (CCIP)**.

i. Eligibility Criteria

To qualify as a Mega Project under this policy, the applicant must:

- Be a registered company, consortium, or institution in India.
- Commit a minimum investment of ₹75 crore in fixed assets (land, plant, machinery, infrastructure)
- Operate in one or more of the following domains:
 - Satellite or launch vehicle manufacturing
 - Space-grade component fabrication
 - Environmental and EMI/EMC testing infrastructure
 - High-performance computing and data analytics for space applications
 - Ground station and telemetry systems
- Submit a detailed project proposal including:
 - Investment and employment plan
 - Technical specifications
 - Timeline for commissioning
 - Collaboration details (if any) with ISRO, IN-SPACe, DRDO, or academic institutions

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

क्रमांक एफ-13-32-2022-तेरह. यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-51-2022-ए-ग्यारह, दिनांक 24 मई, 2023 द्वारा मेसर्स बायो स्पनिंग प्रायवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-3, पीथमपुर, जिला धार में प्रस्तावित यार्न एवं फेब्रिक निर्माण परियोजना (DIIP 22005090002) को विभिन्न सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की थी कि इकाई इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी;

2. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2025 के द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स बायो स्पनिंग प्रायवेट लिमिटेड की नवीन इकाई ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा इकाई 33 के.व्ही. के विद्युत संयोजन पर 4500 के.व्ही.ए. की सीमा तक विद्युत भार पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 से 28 दिसम्बर, 2030 (7 वर्ष) तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

3. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स बायो स्पनिंग प्रायवेट लिमिटेड, जिला धार की नवीन इकाई को उसके नवीन 33 के.व्ही. विद्युत संयोजन पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 से शुरू होने वाली 7 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परंतु, विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 33 के.व्ही. उच्चदाब विद्युत संयोजन पर 4500 के.व्ही.ए. विद्युत भार की सीमा तक ही उपलब्ध होगी.

4. यह अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 7 वर्ष तक के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No. F-13-32-2022.XIII.— WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh *vide* its order No. F-16-51/2022/A-XI, dated 24th May, 2023 has granted exemption from electricity duty along with various facilities to the proposed Yarn and Fabric Manufacturing Project (DIIP22005090002) of M/s Bio Spinning Private Limited in Industrial Area, Sector-3, Pithampur, District Dhar with a condition, that the unit shall start its commercial production in three years from the date of issue of this order;

2. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited *vide* its letter dated 21st January, 2025 has intimated that the new unit of M/s Bio Spinning Private Limited has started its commercial production from 29th December, 2023 and the unit is eligible to avail benefit of exemption from electricity duty for the period from 29th December, 2023 to 28th December, 2030 (7 years) on electrical load limited to 4500 KVA on 33 KV electricity connection;

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts new unit of M/s Bio Spinning Private Limited, District Dhar from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by distribution licensee to its new 33 KV electricity connection for a period of 7 years starting from 29th December, 2023:

Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 4500 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection.

4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 29th December, 2023 and shall remain in force for 7 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही.के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2026

क्रमांक 1-837523-2026 यतः, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 944-1282349-2023-ए-छब्बीस, दिनांक 5 जुलाई 2023 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित हुई थी के माध्यम से मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल का गठन किया है तथा इस प्रकार गठित मण्डल के अनुक्रमांक 4 के बिन्दु क्रमांक 4 पर उल्लिखित कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि का निधन हो जाने के कारण पद रिक्त हो गया है।

अतएव, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 6 तथा धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (3) के साथ पठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा श्री शैलेन्द्र अग्रवाल को मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है।

No1-837518-2026 WHEREAS, the State Government has constituted the Madhya Pradesh labour welfare Board through this department's Notification No- 944-1282349-2023-A-XXVI, dated 5th July, 2023, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 21st July, 2023 and due to the demise of one of the members, mentioned at point number 4 of serial number 4, the post of the Representative of Employees of the Board, so constituted, has become vacant.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section of 6 and sub-section (1) and (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) read with rule 5 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Niyam, 1984, the State Government, hereby, nominates Shri Shailendra Agarwal, as one of the member of the Representative of Employees of the Madhya Pradesh labour Welfare Board.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, अपर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2026

HOM/32/0006/2025-Gen-02(HOM): जनगणना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या वर्ष 1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जनगणना नियम, 1990 के नियम 3 के अनुसरण में, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को जनगणना 2027 के लिये कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कॉलम (3) में दर्शाये प्राधिकार के अनुरूप जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:-

अनुसूची

सरल क्र. (1)	पदाधिकारी (2)	प्राधिकार (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1	सामान्यतः वह अधिकारी जो पद में प्रगणकों से वरिष्ठ होगा	पर्यवेक्षक	उनसे संबन्धित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
2	शिक्षक, क्लर्क अथवा अन्य कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति	प्रगणक	उनसे संबन्धित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

HOM/32/0006/2025-Gen-02(HOM): In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and in pursuance of rule 3 of Census Rules, 1990 the State government hereby appoints the authorities mentioned in column 2 of the Schedule below as Census Officers designated in column 3 for the Census 2027 within the local areas specified in column 4 thereof:-

SCHEDULE

S. No. (1)	Authorities (2)	Designation (3)	Local Areas (4)
1	Officers generally of a rank higher than enumerator.	Supervisor	Within the limits of their respective areas.
2	Teachers, Clerks or any official or any person.	Enumerator	Within the limits of their respective areas.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलेनी, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 1-503956-2026-वियो-2026

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

ग्वालियर विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिए ग्वालियर विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिए निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, म.प्र.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरण

ग्वालियर विकास योजना, 2035 के अध्याय-5 की कंडिका 5.20 तल क्षेत्र अनुपात की सारणी 5-सा-9 के बिन्दु क्रमांक -2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है :-

2 - Premium on FAR की दर निम्नानुसार संगणित की जाएगी -

किसी भू-खण्ड हेतु प्रीमियम द्वारा क्रय किए जाने वाले अतिरिक्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल की मात्रा हेतु राशि (रूपये में)	कलेक्टर दिशा -निर्देश दर x वांछित निर्माण योग्य क्षेत्रफल x 0.25
---	--

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र. को इस सूचना के म.प्र राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि का अवसान होने के पूर्व समयक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोठ, आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना, मध्यप्रदेश

क्रमांक-एस.डब्लू0-9-20-210-2021-2025-787

गुना, दिनांक 04 दिसम्बर 2025

प्रबंधक (ओ एंड एम) गैल (इण्डिया) लिमि0 विजयपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर तहसील गुना ग्रामीण के ग्राम कुंदौल के सर्वे क्रमांक 33 रकबा 0.563 हे, व ग्राम म्याना के सर्वे क्रमांक 865/5/2 रकबा 0.0004 हे0, 865/7/2 रकबा 0.041 हे0, 865/7/1/2 रकबा 0.071 हे0, 865/5/1/2 रकबा 0.0003 हे0, 865/7/1/1/1/2 रकबा 0.0081 हे0 में स्थापित सुरक्षा वाल्व (एस.व्ही.) स्टेशनों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना, द्वारा नायब तहसीलदार म्याना तहसील गुना ग्रामीण से स्थल जांच कराई गई। बाद जांच प्रतिवेदन भेजते हुये, ग्राम कुंदौल में स्थित भूमि सर्वे नंबर 33/1 में वर्तमान में गैस पाइपलाइन स्टेशन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. दर्ज है। उक्त स्टेशन के चारों ओर से पक्की दीवार की बाउन्ड्री लाइन से स्टेशन घिरा हुआ है। सुरक्षा दृष्टि से उक्त क्षेत्र प्रतिबंधित निषेध क्षेत्र घोषित किया जाना उचित होगा तथा हल्का पटवारी ग्राम म्याना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम म्याना में स्थित भूमि सर्वे नंबर 865/5/2 रकबा 0.0004 हे0, 865/7/2 रकबा 0.041 हे0, 865/7/1/2 रकबा 0.071 हे0, 865/5/1/2 रकबा 0.003 हे0, एवं 865/7/1/1/1/2 रकबा 0.081 हे0, भूमि वर्तमान में दादरी गैस पाइप लाइन स्टेशन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. दर्ज है। उक्त स्टेशन चारों ओर से पक्की दीवार की बाउन्ड्री लाइन से घिरा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से उक्त क्षेत्र प्रतिबंधित निषेध क्षेत्र घोषित किया जाना उचित होगा। गैस पाइप लाइन स्टेशन संवेदनशील होकर व अत्यंत ज्वलनशील गैस पाइप लाइन इस स्थल पर भूमि की सतह से उपर स्थित होने से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा नकारात्मक गतिविधियों को किये जाने की संभावनाओं को देखते हुये सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रतिवेदित प्रेषित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि "विजयपुर (गुना) से औरैया" एवं "विजयपुर (गुना) से दादरी" गैस पाइपलाइन एस0 व्ही0 स्टेशन स्थल संवेदनशील क्षेत्र होकर अत्यंत ज्वलनशील गैस का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से होने व पाइपलाइन भूमि की सतह से उपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में उपरोक्त क्षेत्रों को प्रतिबंधित/निषेध क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है।

अतः गैल (इण्डिया) लिमिटेड के आवेदन-पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर अनुसूची में वर्णित स्थान को म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-28 के प्रावधानान्तर्गत निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है -

-:अनुसूची:-

स्टेशन	जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे क्रमांक एवं रकबा	एस0व्ही0 स्टेशन की चतुर्द सीमा	
SV	गुना	गुना	कुंदौल	33 रकबा 0.563 हे	उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	उक्त स्टेशन चारो ओर से पक्की दीवार की बाउन्ड्री लाइन से घिरा हुआ है।
SV	गुना	गुना	म्याना	सर्वे क्रमांक 865/5/2 रकबा 0.0004 हे0, 865/7/2 रकबा 0.041 हे0, 865/7/1/2 रकबा 0.071 हे0, 865/5/1/2 रकबा 0.0003 हे0, 865/7/1/1/1/2 रकबा 0.0081 हे0	उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	उक्त स्टेशन चारो ओर से पक्की दीवार की बाउन्ड्री लाइन से घिरा हुआ है।

- कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना किसी भी संरक्षित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नहीं जायेगा या उसके सामीप में नहीं घूमेंगा।
02. जहां (1) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय, अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये जिसने अनुज्ञा दी है।
03. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा।
04. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
05. संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे।
06. किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल (इण्डिया) लिमिटेड, विजयपुर का होगा।

इह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

किशोर कुमार कन्याल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 15 जनवरी 2026

क्र. क.व.लि.-2026-229.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3-23-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हर्ष सिंह, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, वर्ष 2026 के लिये जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 (तीन) स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLYDAY) घोषित करता हूँ :—

क्र.	दिनांक	पर्व / त्यौहार	दिन	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	10 सितम्बर 2026	पोला पिठोरा	गुरुवार	सम्पूर्ण जिले के लिये
2.	25 सितम्बर 2026	अनंत चतुर्दशी	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिले के लिये
3.	19 अक्टूबर 2026	दुर्गानवमी (महानवमी)	सोमवार	सम्पूर्ण जिले के लिये

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप-कोषालयों पर लागू नहीं रहेगा.

हर्ष सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2026

क्र. 335-स.अ.(का.)-2026.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राघवेन्द्र सिंह, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला जबलपुर, कैलेंडर वर्ष 2026 में जिला जबलपुर के लिये निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश की तारीख	दिन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	होली की भाईदोज	5 मार्च 2026	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
2.	दुर्गा नवमी	19 अक्टूबर 2026	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
3.	दीपावली की भाईदोज	11 नवम्बर 2026	बुधवार	सम्पूर्ण जिला

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप-कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा.

राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 2 फरवरी 2026

क्र. 434-भू-अर्जन-2026, रा. प्र. क्र. 0002-अ-82-2025-26.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय-नीति जारी की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय-नीति के तहत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर के द्वारा सिवनी जिले के अतरी से खामी मार्ग के कि.मी. 2/4 में हिरी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण कार्य किये जाने हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 9 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारूप “ख” में सहमति प्रस्तुत की गई है, खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है।

अतः, निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम मा नाम / प.ह.नं.	खातेदार का नाम	ख. नं.	क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	सिंचित / असिंचित भूमि का विवरण	अन्य परिसंपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिवनी	बरघाट	खामी	गीता पत्नी दशरथ	95/2	0.03	सिंचित	-
	रा.नि.मं.	प.ह.नं.	जाति पंवार नि.ग्रा.				
	बरघाट	21	भूमिस्वामी.				

क्र. 435-भू-अर्जन-2026, रा. प्र. क्र. 0001-अ-82-2025-26.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय-नीति जारी की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय-नीति के तहत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर के द्वारा सिवनी जिले के अतरी से खामी मार्ग के कि.मी. 2/4 में हिरी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण कार्य किये जाने हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय-नीति की कंडिका 9 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारूप “ख” में सहमति प्रस्तुत की गई है, खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है।

अतः, निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम / प.ह.नं.	खातेदार का नाम	ख. नं.	क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	सिंचित / असिंचित भूमि का विवरण	अन्य परिसंपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिवनी	बरघाट	अतरी	तिलकचंद कोलन	607	0.08	सिंचित	-
	रा.नि.मं.	प.ह.नं.	तीरन बैयन्ता सैयन्ता				
	बरघाट	26	पिता सालिकराम				
			दिलीप पुत्र गयाप्रसाद				
			मधु पत्नी संजय				
			गगन पुत्र संजय				
			जाति पंवार भूमिस्वामी.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-161-भू-अर्जन-2026

सतना, दिनांक 30 जनवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - पवइया

(घ) क्षेत्रफल- 1.0340 हे०

क.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्र सिंह पिता मुनेश्वर सिंह पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	39/2	0.2300	0.0060
2	नत्थू सिंह पिता विशेषर सिंह पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	45	1.0240	0.2580
3	नत्थू सिंह पिता विशेषर सिंह पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	46	0.0940	0.0520
4	महादेव पिता रामहेत ब्रा. पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	468/2	0.6120	0.1020
5	रामदीन पिता चुनवदिया घोबी पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	475/4	0.1610	0.0940
6	कन्हेदी पिता रमेशुरा बड़ई पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	485/1	0.6850	0.3900
7	सुशील पत्नी विष्णु कुमार गौतम पता शास्त्री नगर वार्ड क. 3 नागौद सतना	488/2/23	0.3560	0.0630
8	धर्मेन्द्र सिंह पिता ललन सिंह पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	490/1/2/1	0.3260	0.0280
9	धर्मेन्द्र सिंह पिता ललन सिंह पता पवइया नागौद सतना भूमि स्वामी	528/1/10/2/1	0.0910	0.0410
	योग			1.0340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद, जिला-सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर मुख्य नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-7-अ-82-2025-26

सीहोर, दिनांक 4 फरवरी 2026

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013),]

प्रकरण क्रमांक 003/अ-82/2023-2024, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)
भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5
सीहोर	आष्टा / मुल्लानी मंगलपुर	0.242	गवाखेड़ा जलाशय निर्माण से डूब प्रभावित हेतु पूरक भू-अर्जन

**अनुसूची (2)
भूमि/संपत्ति का विवरण**

तहसील :- आष्टा					जिला :- सीहोर
स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकबा (हेक्ट.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कपिलसिंह पिता शिवनारायण जाति पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	354/2/1	0.365	0.242	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग आष्टा जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत विहित 15 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग आष्टा जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बालागुरु के., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-154-भू-अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 5 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य का भाग है, यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	डिठौरा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	00038 डिठौरा
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.2300 हे०

सरल क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	टिप्पणी
01	02	03	04	05
01	1306	0.3400	0.0300	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग सीवा (म.प्र.)
02	1305/1/2	0.0500	0.0080	
03	1302/1/1/2	1.0900	0.0300	
04	1302/1/2	0.6000	0.0480	
05	1303/2/1/1	0.1338	0.0080	
06	1303/2/2/1	0.6675	0.0370	
07	1303/2/3/1	0.6675	0.0330	
08	1303/1/2	0.1400	0.0180	
09	1303/2/1/1	0.1238	0.0180	
कुल रकबा हे० में		3.8126	0.2300	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-722-भू-अर्जन-2026

देवास, दिनांक 17 फरवरी 2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन से मक्सी मार्ग(मक्सी बायपास) एस.एच. 16/एम.डी.आर. मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण हेतु ग्राम दखनीपुर, तहसील टोकखुर्द जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (1) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की उज्जैन से मक्सी मार्ग(मक्सी बायपास) एस.एच. 16/एम.डी.आर. मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम दखनीपुर, तहसील टोकखुर्द जिला देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	उज्जैन से मक्सी मार्ग(मक्सी बायपास) एस.एच. 16/एम. डी. आर. मार्ग के चौड़ी करण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु	4.9970 निजी	-	4.9970

अनुसूची-2

ग्राम दखनीपुर, तहसील टोकखुर्द जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	मेहरबान पिता गिरधारी जाति बलाई पता दखनीपुर टोकखुर्द देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	1/2	0.3800	-	0.3800	0.1010	-	0.1010
2.	जगदीश पिता गिरधारी जाति बलाई पता निवासी ग्राम अहस्तांतरणीय	1/3	0.5000	-	0.5000	0.2400	-	0.2400
3.	बद्रीलाल पिता गिरधारी जाति बलाई पता दखनीपुर टोकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	1/4	0.5000	-	0.5000	0.0280	-	0.0280

4.	हजारीलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता छोटामालसापुरा	4	1.4100	-	1.4100	0.4810	-	0.4810
5.	शाबीर खाँ पिता मोहम्मदखाँ पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6	0.4700	-	0.4700	0.0200	-	0.0200
6.	राजेश पिता हजारीलाल जाति खाती पता छोटामालसापुरा देवास देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	30	0.8800	-	0.8800	0.1090	-	0.1090
7.	शाबीर खाँ पिता मोहम्मद खाँ पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5	0.4700	-	0.4700	0.3840	-	0.3840
8.	सुमनबाई पति बाबुलाल पवित्राबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता निवासी ग्राम मक्सी भूमि स्वामी	10/1	1.4300	-	1.4300	0.4540	-	0.4540
9.	राजेश बेवा निर्भयसिंह दुर्गाबाई बेवा निर्भयसिंह जाति धाकड पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1	0.8900	-	0.8900	0.2820	-	0.2820
10.	कन्हैया पिता रमेशचन्द्र मण्डलोई जाति खाती पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी यशवंत पति लक्ष्मण सिंह जाति खाती पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/2	0.2000	-	0.2000	0.0600	-	0.0600
11.	नगजीराम पिता रामसिंह जाति धाकड पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/1	2.0000	-	2.0000	0.3100	-	0.3100
12.	रामसिंह पिता उमरावसिंह जाति धाकड पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/2	0.1800	-	0.1800	0.0380	-	0.0380
13.	धीरेंद्र पिता महेश पटेल जाति खाती पता चंदाना देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	13	1.1600	-	1.1600	0.2650	-	0.2650
14.	ईश्वरसिंह पिता उकारसिंह जाति राजपूत पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास	15/1	1.0500	-	1.0500	0.0280	-	0.0280
15.	धीरेंद्र पिता महेश पटेल जाति खाती पता चंदाना देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/2	0.6000	-	0.6000	0.0750	-	0.0750
16.	कृष्णबाई बेवा कामिलखाँ जाति मुसलमान पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	105	0.2700	-	0.2700	0.0400	-	0.0400
17.	सीमा पति जितेंद्र वर्मा जाति खाती पता जामगोद देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	16/2/2	1.7400	-	1.7400	0.0050	-	0.0050
18.	जैनुल अबिदीन पिता मोहम्मद वासिल खाँ पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश	16/1	1.9900	-	1.9900	1.1780	-	1.1780
19.	मोहम्मद वासीलखाँ पिता कामिलखाँ जाति मुसलमान पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	107/1	0.4800	-	0.4800	0.2200	-	0.2200
20.	मोहम्मदजुनैद खा शहाना अंजुम नाजिया अंजुम शगुफता अंजुम पिता मोहम्मद शागिल खा जाहिदा पति शागिल खा जाति मुसलमान पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	107/2	0.4800	-	0.4800	0.2020	-	0.2020
21.	हेमसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	112/1	0.5000	-	0.5000	0.1240	-	0.1240
22.	पोपसिंह पिता प्रेमसिंह जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/1	0.7600	-	0.7600	0.1460	-	0.1460
23.	कालुसिंह पिता प्रेमसिंह पता दखनीपुर टोंकखुर्द देवास मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	109/2	0.7600	-	0.7600	0.2070	-	0.2070
			19.1000		19.1000	4.9970		4.9970

क्र.-725-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन से मक्सी मार्ग (मक्सी बायपास) एस.एच. 16/एम.डी.आर. मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण हेतु ग्राम दोन्ताजागीर, तहसील टोकखुर्द जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की उज्जैन से मक्सी मार्ग (मक्सी बायपास) एस.एच. 16/एम.डी.आर. मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची -1

ग्राम दोन्ताजागीर, तहसील टोकखुर्द जिला देवास

क.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	उज्जैन से मक्सी मार्ग (मक्सी बायपास) एस.एच. 16/एम. डी. आर. मार्ग के चौड़ी करण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु	4.2400 निजी	-	4.2400

अनुसूची- 1

ग्राम दोन्ताजागीर, तहसील टोकखुर्द जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	जोरावर सिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता दौन्ताजागीर टोकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	380/1599/1/4	0.0600	-	0.0600	0.0600	-	0.0600
2.	सुमेरसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता दौन्ताजागीर टोकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	380/1599/2/4	0.0600	-	0.0600	0.0250	-	0.0250
3.	सुमेरसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता दौन्ताजागीर टोकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	378/1/2	0.2600	-	0.2600	0.0220	-	0.0220
4.	इन्दरसिंह पिता मोडसिंह जाति	378/2/2	0.5300	-	0.5300	0.0490	-	0.0490

	राजपूत पता दोन्ताजागीर टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी							
5.	मनोहरलाल पिता छोगालाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	377	0.9800	-	0.9800	0.0360	-	0.0360
6.	मनोहरलाल पिता छोगालाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	376	0.1500	-	0.1500	0.0230	-	0.0230
7.	बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	375/1	1.0000	-	1.0000	0.0860	-	0.0860
8.	ओमप्रकाश, बद्रीलाल सुभाषचन्द्र पिता गोपीलाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	375/2	0.2100	-	0.2100	0.0180	-	0.0180
9.	मुकेशकुमार, लोकेन्द्रकुमार पिता सुभाषचन्द्र, ओमप्रकाश, दिलीपकुमार पिता नारायणसिंह जाति कुल्मी पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	367	0.0500	-	0.0500	0.0080	-	0.0080
10	गेकुलसिंह, विक्रमसिंह पिता भवानीसिंह, कृष्णाबाई बेवा ईश्वरसिंह, महेंद्रसिंह, आशाकुंवर, वर्षाकुंवर पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत पता टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	366/1	2.0024	-	2.0024	0.1950	-	0.1950
11.	गेकुलसिंह, विक्रमसिंह पिता भवानीसिंह, कृष्णाबाई बेवा ईश्वरसिंह, महेंद्रसिंह, आशाकुंवर वर्षाकुंवर पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत पता टोंकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	366/2	0.1776	-	0.1776	0.1700	-	0.1700
12.	त्रिलोकचंद चौकसे पिता धन्नालाल चौकसे जाति कलाल पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348/1/1/1	0.4372	-	0.4372	0.1240	-	0.1240
13	संगीताबाई पति त्रिलोकचंद चौकसे जाति कलाल पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348/1/2/2	0.0320	-	0.0320	0.0010	-	0.0010
14	संगीताबाई पति त्रिलोकचंद चौकसे जाति कलाल पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348/1/2/1	0.4380	-	0.4380	0.1210	-	0.1210
15	नेमीचन्द्र पिता धन्नालाल जाति कलाल पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	348/2/1	0.8684	-	0.8684	0.3050	-	0.3050
16	योगेश पिता मदनलाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	337/1	0.9990	-	0.9990	0.4610	-	0.4610
17	मदनलाल पिता परमानन्द जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	339/1	0.4140	-	0.4140	0.0630	-	0.0630

18	निजामखां, निसारखां पिता मजिदखां जाति मैवाती मुसलमान पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	338/1	0.3500	-	0.3500	0.1330	-	0.1330
19	अनवरखां पिता हमीदखां जाति मैवाती मुसलमान पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	332	1.2900	-	1.2900	0.3740	-	0.3740
20	यासीनखां पिता अल्लारखां जाति मुसलमान पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	331	0.8900	-	0.8900	0.3340	-	0.3340
21	सिकंदरखां पिता हजीफ खां जाति मैवाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	329/2	1.1100	-	1.1100	0.0050	-	0.0050
22	निजामखां निसारखां पिता मजिदखां जाति मैवाती मुसलमान पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	321/1	0.4400	-	0.4400	0.2080	-	0.2080
23	हफीजखां पिता रेहमान खां जाति मैवाती मुसलमान पता शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	321/2	0.4300	-	0.4300	0.1840	-	0.1840
24	भवानीराम पिता गोर्धनसिंह जाति लोधी पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	320/3	0.7100	-	0.7100	0.2290	-	0.2290
25	राजमल पिता लक्ष्मीचंद जाति कुल्मी पिता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	320/2	0.7000	-	0.7000	0.1390	-	0.1390
26	आरिफ खान पिता इब्राहिमखान जाति मैवाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	327	0.8100	-	0.8100	0.3070	-	0.3070
27	राघवेन्द्रसिंह पिता पंथनारायणसिंह जाति राजपूत पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	323	0.8300	-	0.8300	0.0490	-	0.0490
28	राघवेन्द्रसिंह पिता पंथनारायणसिंह जाति राजपूत पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	325	0.5200	-	0.5200	0.0890	-	0.0890
29	राघवेन्द्रसिंह पिता पंथनारायणसिंह जाति राजपूत पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	324	0.0500	-	0.0500	0.0250	-	0.0250
30	गोकुलसिंह, विक्रमसिंह पिता भवानीसिंह, कृष्णाबाई बेवा ईश्वरसिंह, महेंद्रसिंह, आशाकुंवर वर्षाकुंवर, वर्षाकुंवर पिता ईश्वरसिंह जाति राजपूत पता टोकखुर्द देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	300	0.1300	-	0.1300	0.1000	-	0.1000
31	छोगालाल पिता सुरजमल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	299	0.1000	-	0.1000	0.0130	-	0.0130
32	मनोहरलाल पिता छोगालाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	297/1	0.5300	-	0.5300	0.0300	-	0.0300
33	गौरीशंकर पिता छोगालाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	297/2	1.0000	-	1.0000	0.0630	-	0.0630
34	सुभाष चंद्र पिता गोपीलाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश	298/1	1.4300	-	1.4300	0.1510	-	0.1510
35	बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाति खाती पता मक्सी शाजापुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298/2	0.2000	-	0.2000	0.0400	-	0.0400
			20.1886		20.1886	4.2400		4.2400

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

**कार्यालय, कलेक्टर जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 16 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना
(ख) तहसील — पवई
(ग) ग्राम — नारायणपुरा
(घ) क्षेत्रफल — 1.676 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	2241/1/1/1	0.010	निजी भूमि
2	2241/2/1	0.030	निजी भूमि
3	2242	0.020	निजी भूमि
4	2203/1	0.010	निजी भूमि
5	2259	0.010	निजी भूमि
6	2201/1	0.050	निजी भूमि
7	2201/2	0.050	निजी भूमि
8	2258	0.010	निजी भूमि
9	2260	0.0400	निजी भूमि
10	2261	0.030	निजी भूमि
11	2262	0.0200	निजी भूमि
12	2200/2	0.0400	निजी भूमि
13	2194/2	0.0400	निजी भूमि

14	2263	0.010	निजी भूमि
15	2193	0.020	निजी भूमि
16	2190/1	0.06	निजी भूमि
17	2190/2	0.060	निजी भूमि
18	2183	0.100	निजी भूमि
19	2181	0.050	निजी भूमि
20	2178	0.015	निजी भूमि
21	2177/2	0.0700	निजी भूमि
22	2176	0.060	निजी भूमि
23	2300	0.030	निजी भूमि
24	2334	0.010	निजी भूमि
25	2335	0.010	निजी भूमि
26	2175/1/1	0.010	निजी भूमि
27	2175/2	0.100	निजी भूमि
28	2328	0.010	निजी भूमि
29	2327	0.030	निजी भूमि
30	2326	0.090	निजी भूमि
31	2322	0.040	निजी भूमि
32	2321	0.0010	निजी भूमि
33	2419	0.050	निजी भूमि
34	2418	0.140	निजी भूमि
35	2411	0.270	निजी भूमि
36	2182	0.010	निजी भूमि
37	2279	0.010	निजी भूमि
38	2336	0.010	निजी भूमि
39	2337/1	0.01	निजी भूमि
40	2338	0.040	निजी भूमि
	कुलकिता -40	1.676हे0	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :-में पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों के भूमि अर्जन कार्य हेतु प्रा-19 का प्रकाशन, ग्राम नारायणपुरा तहसील एवं अनुभाग पर्वई ।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 25/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - पवई
 (ग) ग्राम - पडरियाकलॉ
 (घ) क्षेत्रफल - 2.460 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	484	0.060	निजी भूमि
2	482	0.020	निजी भूमि
3	709/3	0.200	निजी भूमि
4	712	0.180	निजी भूमि
5	481	0.060	निजी भूमि
6	711	0.010	निजी भूमि
7	736	0.130	निजी भूमि
8	742	0.020	निजी भूमि
9	743	0.020	निजी भूमि
10	741	0.010	निजी भूमि
11	740	0.030	निजी भूमि

12	739	0.080	निजी भूमि
13	738	0.020	निजी भूमि
14	755	0.010	निजी भूमि
15	756	0.050	निजी भूमि
16	758	0.020	निजी भूमि
17	759/1	0.060	निजी भूमि
18	759/2	0.050	निजी भूमि
19	821	0.020	निजी भूमि
20	822	0.110	निजी भूमि
21	826	0.010	निजी भूमि
22	818/1	0.010	निजी भूमि
23	819/2	0.010	निजी भूमि
24	824/1	0.040	निजी भूमि
25	823	0.010	निजी भूमि
26	848	0.040	निजी भूमि
27	849/1	0.030	निजी भूमि
28	835	0.040	निजी भूमि
29	847	0.020	निजी भूमि
30	836/1	0.030	निजी भूमि
31	836/2	0.030	निजी भूमि
32	845/1	0.020	निजी भूमि
33	845/2	0.020	निजी भूमि
34	846	0.010	निजी भूमि
35	843	0.020	निजी भूमि
36	844	0.020	निजी भूमि
37	858	0.010	निजी भूमि
38	865	0.030	निजी भूमि
39	859	0.010	निजी भूमि
40	862	0.020	निजी भूमि
41	860/1	0.010	निजी भूमि
42	860/2	0.050	निजी भूमि
43	861	0.030	निजी भूमि
44	863	0.030	निजी भूमि
45	872/2	0.010	निजी भूमि
46	875	0.030	निजी भूमि

47	876	0.090	निजी भूमि
48	877	0.010	निजी भूमि
49	915	0.030	निजी भूमि
50	918	0.110	निजी भूमि
51	917	0.010	निजी भूमि
52	932	0.050	निजी भूमि
53	931	0.010	निजी भूमि
54	930	0.040	निजी भूमि
55	933	0.030	निजी भूमि
56	934	0.010	निजी भूमि
57	928	0.020	निजी भूमि
58	995	0.120	निजी भूमि
59	996	0.010	निजी भूमि
60	997	0.010	निजी भूमि
61	994	0.010	निजी भूमि
62	998	0.010	निजी भूमि
63	999	0.070	निजी भूमि
64	1033	0.010	निजी भूमि
65	1055	0.030	निजी भूमि
66	1030	0.030	निजी भूमि
कुलकिता-66		2.460हे०	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :-में पर्वट मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों के भूमि अर्जन कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम पट्टरियाकलों तहसील एवं अनुभाग पर्वट ।
- (3) भूमि का मूल्यांकन (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वट में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी,
बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

पत्र क्रमांक-653-रीडर-1-2026

बड़वाह, दिनांक 17 फरवरी 2026

प्ररूप- 'ख'

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 184 / B-121 / 2025-26 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- बेड़िया, प.ह.नं. 21, रा.नि.मं.-बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)** मध्यप्रदेश राज्य में **वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्थापन), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बेड़िया, प.ह.नं. 21,	626/1	0.190
			627/1	0.140
			628	0.180
			630	0.300
			640/1	0.150
			643	0.130
			644	0.250
			645/1	0.070
			648/1	0.035
			645/2	0.090
			648/2	0.250
			649/2	0.008
			591	0.350
			597	0.350
			598/1	0.450
			598/2	0.014
			548/1	0.080
			548/2	0.006
			545/2	0.455
कुल योग			19	3.498

पत्र क्रमांक-789-रीडर-1-2026-रा.प्र.क्र.-0158-बी-121-2025-26

बड़वाह, दिनांक 26 फरवरी 2026

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4332 /री-1/2025, बड़वाह, दिनांक 05.12.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- बागदा बुजुर्ग, प.ह.नं. 24, रा.नि.मं.-बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला - खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.12.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बागदा बुजुर्ग, प.ह.नं. 24,	53/3	0.355
			53/5	0.155
			48/1	0.145
			49/1	0.190
			31	0.291

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बागदा बुजुर्ग, प.ह.नं. 24,	30	0.019
			32/1	0.009
			32/2	0.233
			18/1	0.047
			18/2	0.296
			20/1	0.004
			12/2	0.021
			13	0.020
			84/3	0.031
			8/4	0.305
			7/1	0.007
			7/2	0.123
			79	0.192
			82	0.080
			81/1	0.025
			81/2	0.084
			78/3	0.220
			96/1	0.043
			95	0.185
			94	0.064
			91	0.158
			203	0.111
			92	0.120
			202/2	0.505
			212/1	0.120
			212/5	0.230
कुल योग			31	4.388

पत्र क्रमांक-793-रीडर-1-2026-रा.प्र.क्र.-0163-बी-121-2025-26

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 178 /री-1/2025, बड़वाह, दिनांक 08.01.2026 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- लछोरा, प.ह.नं. 73,, रा.नि.मं.-03, कानापुर, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.01.2026 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- लछोरा, प.ह.नं. 73,	72/6	0.088
			72/5	0.074
			72/4	0.005
			25/3	0.479
			25/5	0.053
			25/4	0.053
			25/6	0.010
			25/1	0.410
			24/4/2	0.125
			24/2/3	0.260
			10/3	0.310
			9	0.220
			8	0.360
			3	0.015
			6/1	0.368
			6/2/1	0.012
			4/2/1	0.041
			4/2/2	0.050
			4/2/3	0.010
कुल योग			19	2.943

पत्र क्रमांक-796-रीडर-1-2026-रा.प्र.क्र.-0167-बी-121-2025-26

प्ररूप- "घ" { नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 274 /री-1/2025, बड़वाह, दिनांक 15.01.2026 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "बृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- नलवट, प.ह.नं. 18, रा.नि.मं. -बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.01.2026 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- नलवट, प.ह.नं. 18,	27/1	0.165
			27/2	0.005
			28	0.055
कुल योग			03	0.225

पत्र क्रमांक-799-रीडर-1-2026-रा.प्र.क्र.-0164-बी-121-2025-26

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 171 /री-1/2025, बड़वाह, दिनांक 08.01.2026 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- दामड़, प.ह.नं. 73., रा.नि.मं.-03, कानापुर, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.01.2026 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- दामड़, प.ह.नं. 73,	174/3	0.490
			176/1	0.110
			177/5	0.265
			177/2	0.018
			176/2	0.101
			110	0.500
			165	0.220
			151/1	0.215
			151/2	0.020
			150/1	0.205
			144	0.290
			145	0.365
			126/5	0.067
			128	0.165
			129/2	0.110
			127	0.133
			135/4	0.014
			135/1/1	0.315
			135/1/2	0.200
			133/3	0.180
कुल योग			20	3.983

पत्र क्रमांक-802-रीडर-1-2026-रा.प्र.क्र.-0169-बी-121-2025-26

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 345 /री-1/2025, बड़वाह, दिनांक 20.01.2026 द्वारा, राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- बालाबाद, प.ह.नं. 72, रा.नि.मं.-03, कानापुर, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.01.2026 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम :- बालाबाद, प.ह.नं. 72,	16/1	1.050
			16/2	0.051
			17/1	0.530
			19	0.160
			20/3	0.195
			20/1	0.140
			21	0.100
			109/1	0.208
			108/2	0.230
			76/1	0.160
			108/1	0.043
			76/2	0.190
			108/3	0.153
			77/1	0.024
			75/1	0.095
			75/2	0.090
			74	0.080
			92/2	0.010
			92/1/1	0.090
			95/1	0.090
			95/2	0.195
कुल योग			21	3.884

सत्यनारायण दर्श, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-0010-अ-82-25-26-भू-अर्जन-सेन्दर्या

बैतूल, दिनांक 16 फरवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	सेन्दर्या	0.530	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 मुलताई	रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	जगोती बे. गेन्द्र, सुखराम, चिन्धू पिता बाजीलाल, भिकारी उर्फ लल्लू पिता गेन्द्र, शान्ती, लकी, कचरा पुत्री गेन्द्र जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	222	1.870	0.275
2	दिनेश पिता भंगी जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी	224/4	0.202	0.040
		226/8	0.810	0.185
3	गुलजीबाई पिता गुण्डू सा. देह भूमिस्वामी	224/2	0.340	0.030
		4	3.222	0.530

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0011-अ-82-25-26-भू-अर्जन-छिन्दी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	छिन्दी	0.566	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 मुलताई	रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	कैलाश, सुभाष, नन्दकिशोर व. रामजीसिंह, छोटी बेवा रामजीसिंह जाति रघुवंशी सा. देह	576/2	1.205	0.170
2	भगतसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति रघुवंशी	576/1	0.855	0.045
3	दिनेश पिता ओझा जाति पवार	567/2	0.152	0.010
		575/1	0.203	0.026
4	संतोष पिता ओझा जाति पवार	567/3	0.152	0.010
		575/2	0.202	0.030
5	जगलाल पिता पारन्या, गोकुल, मधु, सतीष, रामकली पिता बीरबल, कोगे बेवा बीरबल, सिल्ली पिता पारन्या, कमला, सुमन पुत्री पारन्या, गुलाबी, धनलाल पिता साजू, नान्ही पुत्री साजू पवार सा. देह	574/1	0.163	0.035

6	काशीबाई पति नान्हू भैया, हरिराम, श्रीलाल, कलीराम पिता शंकर, सरस्वती, सुमन, सुशीला पुत्री शंकर, तुलसिया बेवा मगर, नंदकिशोर, तीरथ, नन्दलाल, जसवंत, दशरथ पिता मगर, विमल, लक्ष्मी पिता मगर, जगदीश व. नान्हू भैया, शान्ताबाई, लक्ष्मी, रेखा, गुडिया पिता नान्हू भैया, कैलाश, संतोष पिता सूरत, चिन्दोबाई, बिन्दाबाई, इन्द्राबाई पिता सूरत, गुलमस बेवा सूरत, ओझा पिता भोपत, श्रीलाल, मोहन पिता सीताराम पवार सा. देह	573	0.210	0.030
7	जयवन्ती पुत्री श्रीलाल, काशीबाई बेवा नान्हू भैया, जगदीश पिता नान्हू भैया, शान्ता, लक्ष्मी रेखा, गुडिया पिता नान्हू भैया, गुलमस बेवा सूरत, कैलाश, संतोष पिता सूरत, चिन्दोबाई, बिन्दाबाई, इन्द्राबाई पुत्री सूरत, रामप्रसाद, मुन्ना पिता श्रीलाल, मोहनलाल पिता छितर्या, मुकू पत्नी लह्या, मटर बेवा श्रीलाल दुर्गा, चतरा पुत्री श्रीलाल	572	0.243	0.045
8	ओझा पुत्र भोपत, जगदीश पुत्र नान्हूभैया, रेखाबाई, शान्ताबाई, लक्ष्मीबाई, गुडियाबाई पिता नान्हूभैया, काशीबाई बेवा नान्हूभैया, श्रीलाल, मोहनलाल, सूरत, नान्हू पिता सीताराम, शंकर पुत्र लोटन	567/1	0.303	0.015
		571/1	0.296	0.045
		571/2	0.304	0.045
9	गोपाल मंगर पिता शंकर	570	0.567	0.060
	योग	13	4.855	0.566

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0002-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-बड़गी खुर्द

बैतूल, दिनांक 17 फरवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि एवं उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	बड़गी खुर्द	2.549	शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	ढीमू पिता कल्लू, मनकी, सम्मो पुत्री कल्लू, गंगा पत्नी श्यामलाल, माहो पत्नी छन्नू, दुल्लू पत्नी सालक, मंघा पत्नी बाजी जाति गोंड पता बैतूल	3	3.913	0.275
2	छुट्टन, गिरधारी, दरबारी पिता लक्खू, बल्लोबाई पुत्री लक्खू जाति गोंड पता बैतूल	5/1	1.470	0.372
3	बबलू पुत्र सुन्दर, ललिता अनिता सलीता पुत्री सुन्दर जाति गोंड पता बैतूल	5/2	1.712	0.222
4	बबलू पुत्र सुन्दर, ललिता पुत्री सुन्दर जाति गोंड पता बैतूल	5/3	1.712	0.566
5	ढीमू पिता कल्लू जाति गोंड पता बैतूल	51	1.582	0.089
6	फुल्लो पत्नी मानसिंग, दीपक, रीपक पिता मानसिंग, देवली, रेवली, रामबाई पिता मानसिंग जाति गोंड पता बड़गी खुर्द	52/3	1.793	0.169

7	फुल्लो पत्नी मानसिंग, दीपक, रीपक पिता मानसिंग, देवली, रेवली, रामबाई पिता मानसिंग, रामकली पुत्री हरेसिंग जाति गोंड पता बडगी खुर्द	52/4	2.023	0.453
8	कसिया पुत्री जददू जाति गोंड पता बैतूल	57/1/1	0.871	0.093
9	भिल्लू पुत्री जददू, कल्लोबाई, सुलो, सीरी पुत्री शिवदीन, कमलती बेवा कल्लू, नीतू पुत्री कल्लू, नितिन पिता कालू, रामरती, सीमा, शर्मिला, श्यामबती, रीना पुत्री कालू, फूसे पुत्री जददू जाति गोंड पता बैतूल	57/1/2	1.642	0.020
10	पतिराम पिता सोमा जाति गोंड पता बैतूल	58/1	0.224	0.129
11	मिन्दो पत्नी कुम्मा जाति गोंड पता बैतूल	58/2	0.226	0.032
12	रोवा, सुखदेव, गोरैलाल पिता फगनू, तारा, जगोती, सुगति पुत्री फगनू, रतनी बेवा फगनू जाति गोंड पता बैतूल	60	1.441	0.129
	योग :-	12	18.609	2.549

- (2) चूँकि शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0003-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-नहरपुर

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि एवं उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	नहरपुर	8.661	शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	रतन पिता सोमजी जाति गोंड पता चिचोली	3/4	0.892	0.892
2	सुमरत पिता सोमजी जाति गोंड पता चिचोली	3/5	0.892	0.892
3	राकेश, चिक्कू पिता नानक, हसतंती पुत्री नानक, बस्तीराम नाबा. पिता नानक जाति गोंड पता चिचोली	3/6	0.891	0.891
4	सम्मो पिता उमराव जाति गोंड पता चिचोली	4	1.121	0.265
5	प्रेमलाल पिता भादू जाति गोंड पता चिचोली	5	1.554	0.215
		29/1	2.003	1.000
6	मोरध्वज, राधेश्याम पुत्र दुरग, गंगा पुत्री दूरग, शांता बेवा सरोप, रामदयाल, शिवदयाल पिता सरोप जाति गोंड पता चिचोली	6/4/1	0.345	0.008
		6/4/2	0.344	0.320
		6/5	0.705	0.705

7	कैलो , फुल्ला, शांति पिता सुखराम जाति गोंड पता चिचोली	6/4/3	0.017	0.017
8	कली पिता सुक्कन जाति गोंड पता नहरपुर	29/2	1.012	0.090
9	भोंदू पिता मोइडी जाति गोंड पता बैतूल	274/1	0.804	0.280
		282/3	0.280	0.110
10	सम्मूलाल पिता मोइडी जाति गोंड पता बैतूल	274/2	0.805	0.805
		282/4	0.280	0.160
11	सुक्को बेवा रोन्या , सोमलाल , रोमलाल, कलीराम, सुन्दर पिता रोन्या , सोमती, फुलकली , रामकली पुत्री रोन्या जाति गोंड पता नहरपुर चिचोली	275	2.416	0.250
12	मक्कड़ पुत्र जुगन जाति गोंड पता बैतूल	280	1.247	0.032
13	मंगल , कमल पिता जुगराम, कमलती पुत्री जुगराम, सरवंती , सेवंती, कलावती, रेवंती पुत्री जुगरू, कोका पिता नलकू , संतो , सुमरती पुत्री नलकू जाति गोंड पता चिचोली	282/1	6.194	0.270
		324	0.099	0.040
14	दोंडू पुत्र मोइडी जाति गोंड पता बैतूल	282/2	0.280	0.055
		274/3	0.807	0.044
15	मंशू पुत्र महाकुंभ जाति गोंड पता बैतूल	326	1.092	0.140
16	फागू पुत्र रंजन, भूते बेवा रंजन जाति गोंड पता बैतूल	330	1.485	0.440
17	हरिचन्द पुत्र पंचम जाति गोंड पता बैतूल	331/1	0.910	0.620
18	हरिदास पुत्र पंचम जाति गोंड पता बैतूल	331/2	0.911	0.070
19	कैलाश पुत्र पंचम जाति गोंड पता बैतूल	332/2	0.911	0.050
	योग :-	26	28.297	8.661

(2) चूँकि शीतलझिरी मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0005-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-इमलीढाना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि एवं उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	इमलीढाना	3.052	शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	नाना पुत्र ओझी जाति गोंड पता चिचोली	2	3.834	0.810
2	सूरत, जिल्लू पुत्र गुड़दू , फूला, जल्लो पुत्री गुड़दू जाति गोंड पता बैतूल	3	3.834	0.262
3	जिल्लू पुत्र गुड़दू जाति गोंड पता बैतूल	5	1.258	0.120
4	किसन पिता नत्थू , बुधिया बेवा नत्थू, दिलीप, दिलवन पिता चिरोंजी, देवकी, रमिया, फूलवती, फूलवंती, सुखवती पुत्री चिरोंजी, बबीता ना.बा. पिता चिरोंजी वली मां बसंती पति चिरोंजी जाति गोंड पता बैतूल	8	2.468	0.160
5	रमेश पिता बिहारी , जुगनी बेवा बिहारी , प्यारे, सुडे पुत्र फुले , रूपसा, गब्बर, रम्मी बेवा सुरजा, कोलू पुत्र रूपसा जाति गोंड पता बैतूल	98	1.335	0.040

6	मनक, भजक, प्रेमलाल पुत्र मौजी, बलमती, प्रेसती पुत्री मौजी, शांता बेवा मौजी, गंगाजी पुत्र जग्गा जाति गोंड पता बैतूल	102	0.506	0.054
7	प्रेमलाल, नब्बू पिता जगदू जाति गोंड पता बैतूल	105	1.761	0.098
8	फुल्लो बेवा श्यामलाल, नन्दकिशोर, शिवकिशोर, मुन्नालाल, रामप्रसाद पिता श्यामलाल, इन्द्रा पुत्री श्यामलाल, दुरगकसा, मनोहरी पिता लोटन, बेदा बेवा भूरा, फल्लो पिता भूरा, अनोपी सरोपी पुत्री भूरा जाति गोंड पता बैतूल	112	1.862	0.028
9	सरोपी पत्नी रिंगू जाति गोंड पता बैतूल	114	3.590	0.325
10	रामन, सोहमत, रमेश, बसन पिता सोमा, फूलवंती, फुलबी पुत्री सोमा, जमदू पिता खेड़ा, मनकी, झिंगो पुत्री खेड़ा, ढीमू पिता कालू, संतो पुत्री कालू जाति गोंड पता बैतूल	115	0.733	0.262
11	प्रीतम पुत्र श्रीराम जाति कुन्बी पता बैतूल	122	1.827	0.610
12	रमजी व. नत्थू, बुधिया बेवा नत्थू जाति गोंड	9	0.507	0.283
	योग :-	12	23.515	3.052

(2) चूँकि शीतलझिरी मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0006-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-कटकुही

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि एवं उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	कटकुही	19.080	शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	ढीमू पिता जिगल जाति गोंड पता बैतूल	258	0.360	0.044
		264/1	0.200	0.200
2	प्रहलाद, लड्डू, काशीराम, सुवा पिता रामचरण जाति गौली पता चिचोली	257/1/1	0.002	0.002
3	गोकुल पिता छोटेलाल जाति गौली पता केसिया शाहपुर	257/1/2	0.323	0.080
		257/2	1.083	0.468
4	फुलराम पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/1	0.807	0.182
5	गोलन पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/2	0.807	0.165
6	कमलेश पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/3	0.807	0.140
7	गणेश पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/4	0.807	0.500
8	रामप्रसाद पिता फूलन जाति गौली पता कटकुही चिचोली	259/5/1/1	0.103	0.103

9	मुकेश पिता गोलन जाति गौली पता कटकुही	259/5/1/2	0.102	0.102
10	शिवप्रसाद पिता कमलेश जाति गौली पता कटकुही	259/5/2	0.202	0.202
11	इन्दल, मनक, फूलवती, सुग्गा, शिवरती, शांति पिता जुगरू, वृन्दा, समोती पिता भंगी, श्यामू पिता भंगी, जिल्लू किसनलाल, गोमा पिता जोहरी जाति गोंड सा. देह	260	2.995	1.355
12	छन्नू पिता फगना, फागू, कारू पिता चैतू, मिल्लो पिता चैतू जाति गोंड पता- चिचोली	261	0.262	0.100
		266/3	3.643	3.643
13	श्रीराम पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/2	0.407	0.407
		270/1	1.279	0.020
14	साहबलाल पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/3	0.406	0.350
15	झब्बू पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/4	0.406	0.406
		277	0.425	0.425
16	चुडोल पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/5	0.406	0.406
		270/4	1.279	0.170
17	फत्तो पिता मेंहगू जाति गोंड पता बैतूल	266/1	1.190	1.190
18	मालती पत्नी हिरदे जाति गोंड पता बैतूल	266/2	0.412	0.412
19	सावित्री पुत्री सूरजसिंग, कालूराम पुत्र जुगराम जाति गोंड पता चिचोली	266/4	6.592	1.720
		275	3.533	1.650
20	ओझा, भूता, चैतराम, चैतू, मून्ना, रमतू पिता जोल्ला, शान्ती बेवा जोल्ला, चैतो पिता जोल्ला जाति गोंड पता बैतूल	271	2.068	0.120
21	महेश, अलकेश पुत्र राजू जाति गौली पता कटकुही	273/4	2.072	0.070
22	बद्री पुत्र छोटेलाल जाति गौली पता कटकुही	284/6	0.213	0.213
23	संतराम पिता छोटेलाल जाति गौली पता चिचोली	284/3	1.000	0.280
		284/4	0.213	0.213
24	नथ्या, संतलाल, बद्री पुत्र छोटेलाल जाति गौली पता कटकुही	284/7	0.550	0.550
25	मस्तराम अमरलाल, बिजना पिता कोवा, मुन्नी, शान्ती पिता कोवा, फुलना बेवा कोवा जाति गोंड पता बैतूल	286/1/2	1.000	0.370
		286/1/4	1.208	0.385
26	शेरसिंग, मोहन पिता मंजा, रजनाखू रामवती, कमला पिता मंजा, झनकी बेवा मंजा जाति गोंड पता बैतूल	286/1/3	1.000	0.405
		286/1/6	1.209	1.209
28	दीपचंद व. सवई जाति गौली पता चिचोली	253/17/3	0.072	0.055
29	संतोष व. दीपचंद जाति गौली पता चिचोली	253/17/2	0.180	0.020
30	गणेश व. सुखचंद जाति गौली पता चिचोली	253/16/2	0.324	0.050
31	जगदीश व. जुगराम जाति गोंड पता कटकुही	286/1/5	1.209	0.040
32	काशीराम, लड्डू, प्रहलाद पिता रामचरण, सुवा पिता रामचरण जाति गौली पता कटकुही	281	3.052	0.445
	योग:-	42	44.421	19.080

(2) चूँकि शीतलझिरी मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की

उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0010-अ-82-2024-25-भू-अर्जन-कुण्डी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	शाहपुर	कुण्डी	4.677	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल, बैतूल @ नागपुर	इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	सोहमतसिंह पिता अम्मू, इश्वर सिंह पिता अम्मू पता- बैतूल, यशोदा, समोती, मीरा पुत्री देवीलाल, रघुबीर पुत्र देवीलाल पता - जामुनढाना जाति गोंड	156/1	0.151	0.040
2	रामकुमार बेवा लखनसिंग, मलकानसिंग पिता कडकसिंग, महेन्द्रसिंग पिता लखनसिंग, कलशाबाई पुत्री लखनसिंग, सुनिता पुत्री लखनसिंग, ललिता पुत्री लखनसिंग, करूणा पुत्री लखनसिंग, अनीता बेवा बवेन्द्रसिंग, हितन्द्रसिंग नाबा, पिता बवेन्द्रसिंग, प्रीति नाबापुत्री बवेन्द्रसिंग, आनन्द सिंग पिता कडकसिंग गोंड पता कुण्डी, बैतूल	157	0.725	0.050

3	अशोक पिता सालक, गुलाब पिता छन्नू मुन्ना पिता छन्नू, लीलाबाई पुत्री सालक, सुरेश पिता सालक जाति ठाकुर पता शाहपुर	155	0.146	0.050
		153	0.526	0.140
4	भूरा पिता भूता, कन्नू पिता भूता, मन्नू पिता भूता, खुडा पिता भूता गोंड पता बैतूल	149/1/1	0.594	0.418
5	सुरेश पिता बुन्दल, सरवन पिता बुन्दल, सुकमनी पुत्री बुन्दल, छुटिया पुत्री बुन्दल, गुडडी पुत्री बुन्दल, शिवकली पुत्री बुन्दल गोंड पता शाहपुर	149/2	0.738	0.030
6	मनीष/सेवन, लीलाबाई पुत्री सेवन, सुखलाल पिता रामपाल, संदीप पिता रामपाल, सोनम पुत्री रामपाल गोंड पता बैतूल	277/1	0.237	0.035
7	जमना बे. सुकलू, तुलसी पिता सुकलू, बल्ली पिता सुकलू, सूलन बे.बलवीर, देवेन्द्र नाबा पिता बलवीर, पंकज नाबा पिता बलवीर गोंड पता बैतूल	279/1	0.113	0.113
8	कैलाश पिता बाबूराव, मनोज पिता बाबूराव, संजय कुमार पिता भगवंतराम कुन्बी पता- बैतूल	280/1	0.471	0.160
9	महेश कुमार पिता भगवंतराव, संजयकुमार पिता भगवंतराव, आशाबाई पुत्री भगवतराव, सुधाबाई पुत्री भगवंतराव, कौशल्या बाई बे. भगवंतराव कुन्बी, बैतूल	282/1	2.015	0.400
10	मस्तान सिंग पिता मोतीलाल गोंड पता-बैतूल	287/1/1	0.584	0.177
		288	0.648	0.275
11	दस्सो पुत्री नत्थनसिंग, कौशल्या पुत्री नत्थनसिंग, फुलन्ता बे. मेहरनसिंह, सूरेंद्र पिता मेहरन, सुनिल पिता मेहरनसिंह पता- कुण्डी	289/2	0.701	0.050
12	फूलन्ती बेवा बिरजू, गौरा पुत्री धन्नू, रूखमणी पुत्री धन्नू, शिवकुमार पिता बिरजू, दशवंती पंत्री बिरजू, विनोद पिता बिरजू, वासुदेव पिता बिरजू, राजकुमार पिता बिरजू जाति गोड पता कुण्डी	289/3	0.467	0.113
13	सेवन पिता बब्बू, सेवक पिता बब्बू, जुगिया पुत्री बब्बू, मेवक पिता बब्बू गोड पता- बैतूल	289/4	0.935	0.015
14	इमरती पुत्री सेपाल, रूकमणी पुत्री सेपाल, तुलसी पुत्री सेपाल, गुरूबक्स पिता सेपाल, लक्ष्मण पिता सेपाल, सोहन पिता सेपाल, भूतेबाई बे. मोहन, ईश्वर पिता मोहन, रामकेश पिता मोहन, रामकिशन पिता मोहन गोंड पता- कुण्डी	290	0.174	0.174
15	विश्वनाथ पिता छन्नू, सम्मरसिंह पिता छन्नू, अमरसिंह पिता छन्नू गोड पता बैतूल	291	0.692	0.220

16	सुरजू पिता मोहबत, कोमल पिता मोहबत, बालचंद पिता मोहबत, रामेश्वर पिता मोहबत, किन्ना पुत्री जबरसिंग, कैलाश पिता मुकुन्दी, शिवप्रसाद पिता मुकुन्दी, शिवरी पुत्री मुकुन्दी, सुब्बो बे. मुकुन्दी गोड पता बैतूल	292	1.226	0.520
17	स्वेदश पिता प्रेमलाल पता बैतूल	293	0.506	0.405
18	गुरूबक्श पिता सेपाल गोड पता- बैतूल	295/1	0.505	0.090
19	सोहनलाल पिता सेपाल गोड पता- बैतूल	295/2	0.506	0.050
20	लक्ष्मण पिता सेपाल गोड पता- बैतूल	295/3	0.506	0.035
21	मतिया/प्रेमसिंह गोड पता बैतूल	523	1.060	0.100
		525	0.129	0.090
22	बुधिया बे.गुलाबसिंह, रघुवीरसिंग पिता गुलाबसिंह अमरवती पुत्री गुलाबसिंह, मायाबाई पुत्री गुलाबसिंह, गोमती पुत्री गुलाबसिंह गोड पता- बैतूल	519	1.279	0.230
23	धन्नासिंग पिता बाबूलाल गोड पता- कुण्डी	518	1.185	0.186
24	स्वेदश पिता प्रेमलाल गोड पता- बैतूल	517/1/1	2.509	0.240
25	भूता पिता छन्नूलाल, चमन पिता छन्नूलाल , बालकसिंग पिता छन्नूलाल गोड	516/1	0.101	0.043
26	सददोबाई बे.सुरज, मोहन पिता सुरज, रूपसिंग पिता सुरज, सुक्कू पिता सुरज, हेमराज पिता सुरज, राधा बे. सोहन, शिवम पिता सोहन, रोहित पिता सोहन, कल्पना पिता सोहन, रमिया बे. सुक्कन, नीलेश नाबा पिता सुक्कन वली मॉ रमिया, आरती नाबा पुत्री सुक्कन वली मॉ रमिया, सरस्वती नाबा पुत्री सुक्कन वली मॉ रमिया, दिव्या नाबा सुक्कन वली मॉ रमिया, कंचन पुत्री सुक्कन वली मॉ रमिया गोड पता- कुण्डी	628	0.769	0.080
27	इलाशवती बे. बलीराम, विजन पिता बलीराम गोड, पता- शाहपुर	603/2/1	1.058	0.050
28	संकेश पिता बिहारी पता- बैतूल	603/1/1	1.049	0.040
29	फुलसिंह पिता धन्नुसिंह पता- बैतूल	602/1	1.171	0.058
योग		32	23.476	4.677

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0012-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-रिधोरा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	रिधोरा	20.467	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 मुलताई	रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	मुन्ना पिता लक्ष्मण	57/1	0.550	0.550
		57/3	0.255	0.255
		57/5	0.304	0.080
		53	0.409	0.409
		56/1	0.296	0.296
		8/2	0.390	0.390
2	गणेश व. टेनी, मीरा पिता टेनी, विजय अजय पिता गुलाबराव मैना बेवा गुलाबराव, रमला सारजी पिता घुड़िया, दिलीप धर्मेन्द्र पिता झनकलाल, बातो पिता झनकलाल जाति पवार सा. देह	57/2	0.540	0.540
		12	0.999	0.999
3	कन्हैया पुत्र घुड़िया जाति पवार	57/4	0.301	0.160
		55	0.243	0.243
		54	0.182	0.182
		8/1	0.897	0.260

4	गेंदू पुत्र हिरालाल जाति पवार सा. देह	57/6	0.127	0.127
		57/7	0.090	0.090
		17	0.510	0.510
5	ओझा पुत्र खुश्याली जाति पवार	57/8/2	0.600	0.380
		52	1.096	1.096
		50	0.344	0.344
		47	0.809	0.809
6	गेंदू, अमृतलाल पिता हिरालाल रूख्मा बेवा हिरालाल, चम्पा बल्लो पिता हिरालाल, किसनजी शंकर पिता गोंड, गणेश गुलाबराव पिता टेनी, जमना बेवा टेनी जाति पवार सा. देह	56/2	0.180	0.180
		56/3	0.055	0.055
7	चैतराम पुत्र दमड़्या रागी पुत्री दमड़्या जाति पवार	49/1	0.263	0.263
		51/1	0.225	0.225
8	कैलो, मुन्नी, मीरा, पुत्री धन्या झूवर पुत्री रोन्या गज्जी बेवा छोटे हीरा, दुल्लो, रूख्मणी, रेखा पुत्री छोटे जाति पवार	46/1	0.034	0.034
		46/9	0.066	0.040
9	जगदीश दसरू पुत्र हिराजी	46/3	0.181	0.141
		23/9	0.088	0.055
		23/10	0.065	0.065
		23/1	0.088	0.070
		46/4	0.141	0.101
10	निलेश ललीत पिता गोण्डू	23/8	0.129	0.055
		46/6	0.140	0.090
11	नरेश पिता बंशीलाल जाति पवार	46/5	0.101	0.035
12	प्यारेलाल, नान्हूलाल पुत्र पांडू पांडू पुत्र भोला	2	0.721	0.721
13	साहेबलाल पिता पांडू सा. देह	3	0.214	0.214
14	बाबुलाल पुत्र झिमरू	4	0.995	0.995
		6	1.464	0.860
		10	0.138	0.138
15	कसिया रखिया मैना नान्ही पुत्री भोला मौजी, पाण्डु पुत्र भोला	5/1	0.219	0.219
		7/1	0.327	0.260
		9/1	0.063	0.063
16	तुरजी पति प्यारे प्यारे पिता पाण्डु जाति पवार	5/2	0.219	0.219
		7/2	0.328	0.015
		9/2	0.062	0.062
17	राई, नाई पुत्री दमड़्या, रामू श्यामू अम्बू मटर मुटुर झूनिया पिता बाबुलाल सा. सिधौरा	11	0.874	0.874
18	गेंदू अमृतलाल चम्पा बल्लो पिता हिरालाल ओझा कला मुन्नी गोंडन पिता खुश्याली मैना बायजा पिता दोलत अजय विजय पिता गुलाबराव मैना पिता गुलाबराव मनेशराव जमना पिता टेनी सा. देह	13	0.198	0.198
19	उजरी सुईला पुत्री बाज्या जाति पवार	14	0.138	0.138

20	गेंदू अमृतलाल पुत्र हीरालाल चम्पा बल्लो पुत्री हीरालाल अजय विजय पिता गुलाबराव मैना बेवा गुलाबराव ओझा गोंडन कला मुन्नी पुत्री खुश्याली मैना बायजा पुत्री दौलत गणेश पुत्र टेनी मीरा पुत्री टेनी धन्नी बेवा टेनी	15	0.138	0.138
21	सुकू पुत्र बाज्या जाति पवार	18/1	0.235	0.235
22	लंकी पत्नी धुन्धू जाति पवार	18/2	0.279	0.279
23	जगन पुत्र बाज्या जाति पवार	18/3	0.235	0.060
24	श्यामू पुत्र बाबू जाति पवार	19	0.454	0.120
25	रतनलाल पुत्र सुखलाल जाति पवार सा. देह	20/2	0.241	0.040
26	कारू नंदलाल पुत्र चैतराम जाति पवार	49/2	0.263	0.263
		51/2	0.225	0.225
27	अमरत पुत्र हिरालाल जाति पवार	16	0.393	0.393
28	कमला बेवा धुन्धू	58/2	0.783	0.040
29	टाटक्या पुत्र टेन्या सा. देह	71	1.287	0.020
30	नान्हू पुत्र पाण्डू	225/1/1	0.218	0.218
31	सकर्या पुत्र पाण्डू	225/1/2	0.217	0.217
32	बाबू पुत्र पाण्डू	225/1/3	0.217	0.075
33	अमरलाल पुत्र पाण्डू	225/1/4	0.217	0.065
34	मनोहर पुत्र किसनजी जाति पवार	226/1	0.365	0.220
		228/4	0.440	0.230
35	चम्पा बेवा मारोती, किशोर पुत्र मारोती, कमल शशीकला किरण कंचन पुत्री मारोती जाति पवार	226/2	0.242	0.110
		227/1	0.651	0.225
36	इन्दल पुत्र शंकर जाति पवार	227/3	0.334	0.190
37	विनोदी पिता भीलू जाति पवार	228/2	0.688	0.520
38	नरेश पिता बंशीलाल सुनीता मीरा नान्ही पिता बंशीलाल कौशल बेवा बंशीलाल जाति पवार	228/5	0.797	0.070
39	गणपती पुत्र श्यामराव जाति पवार	229/3	0.360	0.090
40	भिवजी पुत्र रतन सुभाष संतोष ममता पिता रामजी, सरस्वती बेवा रामजी,	239/1	0.061	0.061
41	सुदामा दिलीप पुत्र नत्थू जाति पवार	238/5	0.728	0.030
		239/2	0.202	0.120
42	भिकारी पुत्र गोपाल जाति पवार	287/1	0.700	0.110
43	लल्लू पुत्र गोपाल जाति पवार	287/2	0.180	0.060
44	मुन्ना मारोती लुखी पिता सुकाली	288	0.619	0.155
45	फुन्दाबाई पत्नी हिराजी	23/2	0.254	0.202
		46/2	0.275	0.185
46	हीराजी रामजी धनजी पुत्र सुरजी झुलर कोगा तुलसी पुत्री सुरजी	23/3	0.101	0.035
47	गनाजी पिता ओझा	48/1	0.236	0.236
48	मनाजी पिता ओझा	48/2	0.236	0.236
49	विशाल पिता ओझा	48/3	0.236	0.206
50	सकर्या पिता पन्ना	48/4	0.767	0.637
51	सोजर पुत्र रोन्ना जाति पवार	46/7	0.091	0.046
	योग	84	30.623	20.467

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि रिधोरा सिरकुंड स्टोरेज टैंक के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलिंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-06-भू-अर्जन-26

मैहर, दिनांक 20 फरवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिये प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे०मे०) लगभग		
मैहर	मैहर	बेरमा	0.0144हे०	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) निर्माण रीवा संभाग रीवा म०प्र०	लेविल कासिंग 375 किमी० 1132/8-9 में कटनी से मानिकपुर रेल लाइन में रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-835297-भू-अर्जन-2026

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वल्लभ भवन-111,डी विंग प्रथम तल मंत्रालय, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-नजरपुर कामठी, पोह0न-07 ब.न.-89 रा.नि.म-देलाखारी	रकबा-247.002 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से दूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्तीबाई लोधी सागर नहर संभाग क0 2 गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवन्ती बाई लोधी सागर बांयी तट नहर अनुविभाग बगासपुर, तहसील गोटेगांव,जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-835298-भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वल्लभ भवन-111, डी विंग प्रथम तल मंत्रालय, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ 31 06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3 अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधेय के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-चावलपानी, प0ह0न-08 ब.न.-42 रा.नि.म-देलाखारी	रकबा 132.842 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू अर्जन अधिकारी तहसील जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्तीबाई लोधी सागर नहर सभाग क0 2 गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवन्ती बाई लोधी सागर बांधी तट नहर अनुविभाग बगासपुर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-835299-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, बल्लभ भवन-111, डी विंग प्रथम तल मंत्रालय, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 06 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-बम्होरी खुर्द, 4080न-07 ब.न.-109 रा.नि.म-देलाखारी	रकबा-36.998 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिरांपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग क0 2 गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर बांयी तट नहर अनुविभाग बगासपुर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-835300-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, बल्लभ भवन-111, डी विंग प्रथम तल मंत्रालय, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 08 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-देहगांव कला, प0ह0न-09 ब.न.-78 रा.नि.म-देलाखारी	रकबा-127.801 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिरांपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्तीबाई लोधी सागर नहर संभाग क0 2 गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवन्ती बाई लोधी सागर बांयी तट नहर अनुविभाग बगासपुर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-835301-भू-अर्जन-2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वल्लभ भवन-111, डी विंग प्रथम तल मंत्रालय, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-31-06/2020/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 08 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत 'सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अत अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम-खैरीरेगाढाना, 40ह0न-07 ब.न.-33 रा.नि.म-देलाखारी	रकबा-43.570 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा	दुधी परियोजना के अंतर्गत दुधी बांध से डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मोप्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (मोप्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्तीबाई लोधी सागर नहर संभाग क0 2 गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवन्ती बाई लोधी सागर बांयी तट नहर अनुविभाग बगासपुर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2026

क्र. A-555-एक-7-3-2025-भाग-एक.-मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-8292 जबलपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2025 एवं अधिसूचना क्रमांक बी-518, जबलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री तथा जिला न्यायपालिका हेतु होली (धुरेड़ी) के उपलक्ष्य में बुधवार दिनांक 04 मार्च 2026 का अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त घोषित अवकाश के एवज में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री तथा जिला न्यायपालिका हेतु शनिवार, दिनांक 18 अप्रैल 2026 को कार्य दिवस रहेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता).

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2026

क्र. D-533-दो-2-60-2014.-श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 02 से 07 फरवरी 2026 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 फरवरी 2026 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2026

क्र. B-1183-चार-8-42-1977-भाग-सोलह.-श्रीमती उर्मिला खेड़कर, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर जिला धार को दिनांक 16 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक, कुल इकत्तीस दिवस का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिला खेड़कर, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर, जिला धार को सरदारपुर जिला धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला खेड़कर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026

क्र. D-549-दो-2-114-2017.-श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 28 से 31 जनवरी 2026 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़ ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-551-दो-2-23-2020.- श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 18 से 20 फरवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के.एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-553-दो-2-40-2019.-श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 04 से 06 फरवरी 2026 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-555-दो-2-43-2020.-श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 10 से 14 मार्च 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 मार्च 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-557-दो-2-7-2019.-श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 18 से 20 फरवरी 2026 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-559-दो-2-14-2025.-श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 25 फरवरी से 05 मार्च 2026 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वंदना जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-561-दो-2-34-2025.-श्रीमती प्रिया शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 06 से 12 फरवरी 2026 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रिया शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती प्रिया शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-563-दो-2-8-2025.-श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को दिनांक 28 से 31 जनवरी 2026 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार लढ़िया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-565-दो-2-30-2023.-श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 19 से 20 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नोरिन निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-567-दो-2-27-2024.- श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 05 से 06 फरवरी 2026 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-569-दो-2-61-2024.-श्री अरविन्द कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2026 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-571-दो-2-27-2024.-श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 18 से 20 फरवरी 2026 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-573-दो-2-25-2022.— श्री विकास चन्द्र मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 24 जनवरी 2026 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 24 से 28 जनवरी 2026 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विकास चन्द्र मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास चन्द्र मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-575-दो-2-82-2023.— श्री अजय कांत पाण्डेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 21 से 23 जनवरी 2026 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-577-दो-2-80-2023.— श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 02 से 03 फरवरी 2026 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 02 से 06 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 एवं 08 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामजी गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-579-दो-2-46-2023.— श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 02 से 06 फरवरी 2026 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-581-दो-2-08-2025.— श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को दिनांक 02 से 13 जून 2025 तक, कुल बारह दिन के ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक की ब्लाक अवधि के लिये एल.टी.सी. सुविधा के अंतर्गत दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.